

मध्यप्रदेश सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक अधिनियम, 1999

(द्वि-भाषी संकलन)

मध्यप्रदेश राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक मर्यादित, भोपाल 2000

मध्यप्रदेश अधिनियम क्रमांक २० सन् २०००.

मध्यप्रदेश सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक अधिनियम, १९९९.

विषय-सूची.

धाराएं :

अध्याय १-- प्रारंभिक

- १. संक्षित नाम, विस्तार और प्रारम्भ.
- २. परिभाषाएं.
- ३. रजिस्ट्रार की शक्तियों का प्रदत्त किया जाना.

अध्याय २—निधियां और संसाधन

- ४. निधियां जुटाने की शक्ति.
- ५. डिबेन्वरों का निर्गमित किया जाना.
- ६. वंधपत्रों का निर्गीमत किया जाना तथा उधारों और निक्षेपों का जुटाया जाना.
- ७. न्यासी की नियुक्ति और ऋक्तियां.
- ८. डिबेन्बरॉ, बंधपन्नें और उधारों के लिए सरकार की प्रत्यापृति:
- ९. प्रत्याभृति निधि.
- हरू हुर्_{र ह}ुर्वा उभार स्थितिकरण निर्मि की स्थापना.
 - रे. इस अध्याव के प्रयोजन के लिए जिनिमय बनाने की राज्य विकास बैंक की राक्ति

अध्याय ३—उधार

- ta. ठथार देने की शक्ति.
- १३. उधार और अग्निम किसे मंजूर किए जा सकेंगे.
- १४. सदस्यता के कतिपय प्रवर्गों का विनियमन.
- १५. उथारों के लिए प्रतिभूति.
- १६. उधार के लिए आवेदन का निपटाया जाना.
- १७. वधार मंजूर करने का आदेश कतिपय मामलों के संबंध में निश्चायक होगा.
- १८. किसी जिला विकास बैंक से दुधार के लिए आवेदन शपथ-पत्र द्वारा समर्थित होगा.
- १९. प्रतिभृतियों पर दावों की पूर्विकता.
- २०. प्रतिभूति को राज्य विकास बैंक का अंतरण और उसमें उसका निहित होना.
- · २१. भूमि के विकास के लिए उधार लिया गया धन.
- २२. विलोपित.

अध्याय ४—उपज का करस्थम और विक्रय

- २३. करस्थम कब किया आएगा.
- २४. करस्थम किस प्रकार किया जाएगा.
- २५. करस्थम की गई संपक्ति का विक्रय.

अध्याय/५--त्यायालय के मध्यक्षेप के बिना संपत्ति का विक्रय

- २६. भारित संपत्ति को न्यायालय के मध्यक्षेप के बिना विक्रय करने की शक्ति
- २७. विक्रय के लिए आवेदन और विक्रय की रीति.

MADHYA PRADESH ACT

No. 20 of 2000.

MADHYA PRADESH SAHAKARI KRISHI AUR GRAMIN VIKAS BANK ADHINIYAM. 1999.

TABLE OF CONTENTS

 1100	•	n
 	•	

CHAPTER-I—PRELIMINARY

- Short title, extent and commencement.
- 2. Definitions.
- 3. Conferral of Registrar's Power.

CHAPTER-II-FUNDS AND RESOURCES

As the state of th

- Power to raise funds.
- Issue of debentures. 5.
- Issue of Bonds and raising of Loans and Deposits. 6.
- 7.
- Appointment and powers of Trustee.

 Government Guarantee for Bonds, Debentures and Loans. 8.
- Guarantee Fund.
- Credit Stabilization Fund. 16.07
- Power of State Development Bank to make Regulations for the purpose of 11. this Chapter.

CHAPTER-III—LOANS

- हाराक्षण्या १,000 प्राप्ति प्रतिक्रियमा गर्भ सक्की असेन्। इन्यानिकृति भूमित करमके क्रारीक करिक्रम एवं हिल्ली Power to Advances Loans. 12.
 - 13. Who can be Granted Loans and Advances.
 - Rugulation of Certain Categories of Membership. 14.
 - 15. Security for Loans.
 - Disposal of Application for Loan. 16.
 - 17. Order Granting Loan conclusive of Certain Matters.
 - Application for loan from a District Development Bank to be supported by 18. Affidavit.
 - 19. Priority of claims over securities.
 - 20. Transfer and vesting of Security with State Development Bank.
 - 21. Money Borrowed for Development of land.
 - Omitted. 22.

CHAPTER-IV—DISTRAINT AND SALE OF PRODUCE

- 23. Distraint when to make.
- 24. Distraint how to make.
- 25. Sale of property distrained.

CHAPTER-V-SALE OF PROPERTY WITHOUT INTERVENTION OF COURT

- 26. Power to sell property charged without intervention of Court.
- 27. Application for sale and manner of sale.

- २८. विक्रय की पृष्टि.
- २९. विक्रय आगमों का वितरण.
- ३०. विक्रय प्रमाण-पत्र का दिया जाना.
- ३१. संपत्ति का कब्जा.
- ३२. विक्रय में संपत्ति क्रय करने का राज्य विकास बैंक या जिला विकास बैंक का अधिकार.
- ३३. रिसीवर की नियुक्ति और उसकी शक्तियां.
- ३४. क्रेता का हक अधिक्षेपनीय नहीं होगा.
- ३५. विक्रय अधिकारी की नियुक्ति.

अध्याय ६—प्रकीर्ण

- ३६. अपर्यास प्रतिभृति का उधार के दुरुपयोग की दुशा में राज्य विकास बैंक या जिला विकास बैंक की शक्तियां.
- ३७. उपज के करस्थम और विक्रय और संपत्ति के विक्रय का निर्देश देने की राज्य विकास बैंक और न्यासी की शक्ति.
- ३८. प्रतिभृति में किए गए सुधारों पर बैंक का अधिकार.
- ३९. कतिपय मामलों में कृषि उपज के विक्रय आगम में से कटौती.
- ४०. प्रतिभृति दिवाला कार्यकाहियों में प्रश्नगत नहीं की जाएगी.
- ४१. प्रतिभृति के रूप में प्रस्थापित संपत्ति के बिल्लंगम या अन्तरण करने की शक्ति पर निर्वधन.
- ४२. साक्षियों को समन करने और दस्तावेजों की अध्यपेक्षा करने की शक्ति.
- ४३. राज्य विकास बैंक या जिला विकास बैंक द्वारा दस्तावेज का रिकस्ट्रीकरण.
- ४४. धन प्राप्त करने और विधियान्य उन्मोचन करने की जिला विकास बैंक की शक्ति.
- ४५. दस्तावेजों का या दस्तावेजों की प्रविष्टियों का सबूत.
- ४६. राज्य विकास बैंक से उधार नहीं ली गई निधियों में से जिला विकास बैंकों द्वारा दिये गये उधारों को अध्याय ३, ४ और ५ का लागू होना.
- ४७. सूचनाओं की तामील.
- ४८. संपत्ति अंतरण अधिनियम, १९८२ के उपबंधों का सूचनाओं को लागू होना.
- ४९. बैंकों के अधिकारी और विक्रय अधिकारी विक्रय में बोली नहीं लगायेंगे.
- ५०. अधिकारी, कर्मचारी या व्यक्ति लोक सेवक होंगे और सद्भावपूर्वक किए गए कार्य के लिए उनका संरक्षण.
- ५१. राज्य विकास बैंक द्वारा शक्तियों का प्रत्यायोजन.
- ५२. शाखाओं का खोला जाना.
- ५३. अविभक्त हिन्दू कुटुम्ब के कर्ता द्वारा दी गई प्रतिभृति के लिए विशेष उपबंध.
- ५४. १९५६ के अधिनियम सं. ३२ की धारा ८ जिला विकास मैंक को कतिएय उपान्तरणों के अध्यधीन रहते हुए लागू होगी.
- ५५. अपराधों का संज्ञान.
- ५६. नियम बनाने की शक्ति.
- ५७. पर्यवेक्षण करने और विनियम बनाने की राज्य विकास बैंक की शक्ति.
- ५८. निरसन और व्यावृत्तियां.

- 28. Confirmation of Sale.
- 29. Distribution of sale proceeds
- 30. Grant of sale certificate.
- 31. Possession of property.
- Right of State Development Bank or District Development Bank to purchase property at sale.
- 33. Appointment and power of receiver.
- 34. Title of purchaser not to be impeachable.
- 35. Appointment of Sale Officer.

CHAPTER-VI-MISCELLANEOUS

- 36. Powers of State Development Bank or District Development Bank in case of insufficient security or misutilisation of loan.
- Powers of State Development Bank and Trustee to Direct distraint and sale of produce,
 and sale of property.
- Banks' right to improvements effected to the security.
- Deduction from sale proceeds of agricultural produce in certain cases.
- 40. Security not to be questioned in Insolvency proceedings.
- 4). Restriction on power to encumber or transfer the property offered as security.
- 42. Power to stiffmon witnesses and requisition documents.
- 43. Registration of document by State Development Bank or District Development Bank.
- 44. Power of District Development Bank to receive money and grant valid discharges.
- 45. Proof of documents or entries in documents.
- 46. Application of Chapters III, IV and V to loans advanced by District Development Banks from fund not boorrowed from State Development Bank.
- 47. Services of notices.
- 48. Applications of provisions of transfer of Property Act, 1882 to notices.
- 49. Officers of Banks and sale officers not to Bid at sales.
- 50. Officers, employees or persons to be public servant, and their indemnity for Acts done in Good faith.
- 51. Delegation of powers by the State Development Bank.
- 52. Opening of Branches.
- 53. Special provisions for security furnished by Karta of a Hindu Undivided Family.
- 54. Section 8 of Act 32 of 1956 to apply to District Development Bank subject to Certain modifications.
- 55. Congnizance of offences.
- 56. Power to make rules.
- State Development Bank's power of supervision and of making regulations.
- 58. Repeal and savings.

मध्यप्रदेश अधिनियम क्रमांक २० सन् २०००.

मध्यप्रदेश सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक अधिनियम, १९९९.

[दिनांक 5 जुलाई, 2000 को राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त हुई; अनुमति ''मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)'' में दिनांक 13 जुलाई, 2000 को प्रथमबार प्रकाशित की गई.]

पध्यप्रदेश में सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंकों के कार्यकरण को और अधिक दक्षतापूर्ण बनाये जाने को सुकर बनाने और उन्हें खेती तथा गैर खेती दोनों ही क्षेत्रों में और अधिक विकासात्मक भूमिका निभाने के लिए समर्थ बनाने हेत अधिनियम.

भारत गणराज्य के पद्मासवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:--

अध्याय १-प्रारंभिक

संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ.

- १. (१) इस अधिनियम का संक्षित नाम मध्यप्रदेश सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक अधिनियम, १९९९ है.
 - (२) इसका विस्तार सम्पूर्ण मध्यप्रदेश राज्य पर है.
 - (३) यह ऐसी तारीख को प्रवृत्त होगा जो राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, नियत करे.

ul veni

- २. (१) इस अधिनियम में, जब तक संदर्भ से अन्यक अपेक्ति न हो,-
 - (क) "बोर्ड" से अभिप्रेत हैं मध्यप्रदेश राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास चैंक मर्यादित का निदेशक बोर्ड:
 - (ख) "राज्य विकास बैंक" से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश सहकारी सीस्प्रहटी अधिनियम, १९६० (क्रमांक १७ सन् १९६१) के अधीन रिजस्ट्रीकृत या रिजस्ट्रीकृत समझा ग्रेया क्रिक्ट्रीकृत समझा ग्रेया क्रिक्ट्रीकृत समझा ग्रेया क्रिक्ट्रीकृत समझा ग्रेया
 - (ग) "जिला विकास बैंक" से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियस, १९६० (क्रमांक १७ सन् १९६१) के अधीन रिजस्ट्रीकृत या रिजस्ट्रीकृत समझा गया जिला सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक:
 - (घ) "उधारप्रहीता" से अभिप्रेत है ऐसा व्यक्ति जिसे धारा १५ की उपधारा (१) में यथाउपबंधित प्रतिभूति पर राज्य विकास चैंक या जिला विकास चैंक द्वारा उधार दिया गया है:
 - (ङ) ''राष्ट्रीय बैंक'' से अभिप्रेत है राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक अधिनियम, १९८१ (१९८१ का सं. ६१) की धारा ३ के अधीन स्थापित राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक:
 - (च) ''प्रतिभूति'' से अभिप्रेत हैं उधार के प्रतिसंदाय को प्रतिभूत करने के लिए धारा १५ की उपधारा (१) में यथा निर्दिष्ट प्रतिभृति;
 - (छ) "निक्षेप निश्व" से अभिष्रेत है साधारण डिबेंचरों के मोचन के लिए राज्य विकास केंक द्वारा स्थापित और संधारित की गई निश्व:
 - (ज) ''न्यासी'' से अभिप्रेत हैं धारा ७ में निर्दिष्ट न्यासी.

MADHYA PRADESHACT

No. 20 of 2000.

THE MADHYA PRADESH SAHAKARI KRISHI AUR GRAMIN VIKAS BANK ADHINIYAM, 1999.

[Received the assent of the President on the 5th July, 2000; assent first published in the "Madhya Pradesh Gazette (Extra-ordinary)" dated the 13th July, 2000.]

An Act to facilitate a more efficient working of the Co-operative Agriculture and Rural Development Banks in Madbya Pradesh and to enable them to play a greater developmental role both in farming and non-farming sectors.

Be it enacted by the Madhya Pradesh Legislature in the Fiftieth Year of the Republic of India as follows:—

CHAPTER-I-PRELIMINARY

1. (1) This Act may be called the Madhya Pradesh Sahakari Krishi Aur Gramin Vikas Bank Adhiniyam. 1999.

Short title, Extent and Commence-

- (2) It extends to the whole of the State of Madhya Pradesh.
- (3) It shall come into force on such date as the State Government may, by notification, appoint.
- 2. (1) In this Act, unless the context otherwise requires,-

Definitions.

- (a) "Board" means the Board of Directors of the Madhya Pradesh State Co-operative Agriculture and Rural Development Bank Lianited;
- (b) "State Development Bank" means the Madhya Pradesh State Co-operative Agriculture and Rural Development Bank Limited, registered or deemed to be registered under the Madhya Pradesh Co-operative Societies Act, 1960 (No 17 of 1961);
- (c) "District Development Bank" means a district Co-operative Agriculture and Rural Development Bank registered or deemed to be registered under the Madhya Pradesh Co-operative Societies Act. 1960 (No 17 of 1961);
- (d) "Loanee" means the person to whom loan is advanced by the State Development Bank or a District Development Bank on security as provided in sub-section (1) of section 15:
- (c) "National Bank" means National Bank for Agriculture and Rural Development established under section 3 of the National Bank for Agriculture and Rural Development Act, 1981 (No. 61 of 1981);
- (f) "Security" means the security as referred to in sub-section (1) of section 15 to secure the repayment of loan:
- (g) "Sinking Fund" means a fund established and maintained by the State Development Bank for redemption of ordinary debentures;
- (h) "Trustee" means the Trustee referred to in section 7.

(२) उन शब्दों और अभिव्यक्तियों के, जो इस अधिनियम में प्रयुक्त हैं और इसमें परिभाषित नहीं हैं किन्तु मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, १९६० (फ्रमांक १७ सन् १९६१) और उसके अधीन बनाए गए नियमों में परिभाषित हैं, वे ही अर्थ होंगे जो उस अधिनियम में उनके लिए दिए गए हैं.

रजिस्ट्रार की शक्तियों का प्रदत्त किया जाना 3. राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, रिजस्ट्रार के अधीनस्थ किसी अधिकारी को सम्पूर्ण राज्य के लिए या उसके किसी विनिर्दिष्ट भाग के लिए समस्त ऐसी ऋक्तियों या उनमें से किसी शक्ति का और समस्त ऐसे कर्तव्यों या उनमें से किसी कर्तव्य का जो इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन रिजस्ट्रार को प्रदत्त की गई हैं या उस पर अधिरोपित किए गए हैं प्रयोग तथा पालन, ऐसे नियंत्रण के अध्यधीन रहते हुए, जो राज्य सरकार निदेशित करे, करने के लिए नियुक्त कर सकेगी.

अध्याय २—निधियां और संसाधन

निधियां जुटाने की ज़रिक ४. मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, १९६० (क्रमांक्र १७ सन् १९६१) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, राज्य विकास बैंक राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से और इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों के अध्यधीन रहते हुए—

- (क) डिबेन्चर;
- (ख) बंधपत्र
- (ग) उधार;
- (घ) निक्षेप;
- (ङ) संदान; और
- (च) अनुदान;

के माध्यम से निधियां जुटा सकेगा.

डिजेन्धरों का निर्गमित किया

- ५. (१) राज्य विकास बैंक, राज्य सरकार और न्यासी की पूर्व मंजूरी से एक या अधिक अंकित मूल्यों के डिबेन्वरों का पिर्गमन—
 - (एक) ऐसी कालाविषयों और ब्याज की ऐसी दरों पर जो वह समीचीन समझे, उसके द्वारा धारित या भागत: धारित या भागत: अर्जित की जाने वाली एक या अधिक प्रतिभृतियों या उसके द्वारा ली गई अन्य आस्तियों और धारा २० के उपबन्धों के अधीन उसको अंतरित या अंतरित समझी गई किसी जिला विकास बैंक की अन्य आस्तियों और प्रतिभृतियों पर कर सकेगा;
 - (दो) तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन, यथास्थित, स्थापित, रिजस्ट्रीकृत या गठित और राज्य सरकार द्वारा उस प्रयोजन के लिए अनुमोदित किसी कंपनी या अन्ये निगमित निकाय के उधार देने के प्रयोजन के लिए ऐसी सरकारी प्रत्याभृति के बल पर तथा अन्य प्रतिभृतियों और अन्य आस्तियों सहित या उनके बिना ऐसी कालाविधयों के लिए, जो वह समीचीन समझे, कर सकेगा.
- (२) राज्य विकास बैंक को यह अधिकार होगा कि वह डिबेन्यर धारकों को ऐसी रीति में जैसी कि वह विहित करे, सूचना जारी करने के पश्चात् डिबेन्चरों में से किसी डिबेन्चर को मोचन के लिए नियत तारीख से पूर्व किसी भी समय वापस ले ले.
- (३) राज्य विकास बैंक द्वारा निर्गीमत डिबेन्चरों पर शोध्य तथा किसी भी समय परादेय कुल रकम, प्रतिभूतियों तथा अन्य आम्तियों और उपधारा (१) के खण्ड (दो) में निर्दिष्ट सरकारी प्रत्याभृति पर शोध्य संकलित कुल रकम और उसके अधीन संदत्त तथा ऐसे समय पर राज्य विकास बैंक या न्यासी के पास की अवशिष्ट रकमों के कुल योग से अधिक नहीं होगी.
- (४) जहां डिबेन्चरों का निर्गमन धारित बंधकों पर न किया जाकर अन्यथा किया जाता है वहां राज्य विकास बँक द्वारा उपधारा (१) में विनिर्दिष्ट प्रयोजन के लिए निर्गमित डिबेन्चरों पर कुल सोध्य और किसी भी समय परादेय रकम, उपधारा (३) के अधीन यथा संगणित कुल रकम से, जिसमें डिबेन्चरों पर प्राप्त रकम का ऐसा भाग जो बंधकों के अंतर्गत नहीं है, उस सीमा तक, जो राज्य सरकार द्वारा उपधारा (१) के अधीन अनुमोदित की जाए, अधिक नहीं होगी.

- (2) Words and expressions used in this Act and not defined herein but defined in the Madhya Pradesh Co-operative Societies Act, 1960 (No 17 of 1961), and the Rules made thereunder, shall have the meaning assigned to them in that Act.
- 3. The State Government may, by notification, for the whole or for any specified part of the State, appoint any officer sub-ordinate to the Registrar to exercise all or any of the powers and to perform all or any of the duties, conferred and imposed on the Registrar by or under this Act subject to such control as the State Government may direct.

Conferral of Registrar's

CHAPTER-II—FUNDS AND RESOURCES

4. Notwithstanding anything contained in the Madhya Pradesh Co-operative Societies Act, 1960 (No. 17 of 1961), the State Development Bank may, with the prior approval of the State Government and subject to the Rules made under this Act, raise funds through-

- (a) Debentures:
- (b) Bonds:
- (c) Loans:
- (d)Deposits;
- (e) Donations; and
- 5. (1) With the previous sanction of the State Government and the trustee, the State Development Bank may issue debentures of one or more denominations for-

Debentures.

- such periods and at such rates of interest as it may deem expedient against one or (i) more securities held or partly held or partly to be acquired or other assets taken by it and other assets and securities of District Developent Bank transferred or deemed to have been transferred to it under the provisions of section 20;
- (ii) the purpose of providing loans to a company or any other body corporate established, registered or constituted, as the case may be, under any law for the time being in force and approved for that purpose by the State Government, on the strength of such Government Guarantee and with or without other securities and other assets, for such periods as it may deem expedient.
- (2) The State Development Bank shall have the right to call in, at any time, any of the debentures in advance of the date fixed for redemption after issuing a notice in such manner as it may prescribe to the debenture holders.
- (3) The total amount due on the debentures issued by the State Development Bank, and outstanding at any time, shall not exceed the aggregate of the amount due on the securities and other assets and Government Guarantee referred to in clause (ii) of sub-section (1) and the amounts paid thereunder and remaining with the State Development Bank or the Trustee at such time.
- (4) Where dependings are issued otherwise than against mortgages held, the total amount due on debentures issued by the State Development Bank for the purpose specified in sub-section (1) and outstanding at any time shall not exceed the total amount as calculated under sub-section (3) increased by such portion of the amount obtained on the debentures as is not covered by mortgages to such extent as may be approved by the State Government under sub-section (1).

बंधकों का निर्गमित किया जाना तथा उधारों और निक्षेपों का जुटाया जाना. ६. (१) राज्य विकास बैंक ऐसे निदेशों या अनुदेशों के अध्यधीन रहते हुए, जो भारतीय रिजर्व बैंक या राष्ट्रीय बैंक द्वारा समय-समय पर जारी किए जाएं, तथा राज्य सरकार की पूर्व मंजूरी से बंधपत्रों को निर्गमित कर सकेगा जो कि वचन पत्रों के रूप में होंगे जो उनके निर्गमित किए जाने की तारीख से ऐसी कालावधि या कालावधियों का, जो भारतीय रिजर्व बैंक या राष्ट्रीय बैंक द्वारा अनुमोदित की जाएं, अवसान हो जाने पर प्रतिसंदेय होंगे :

परन्तु राज्य विकास बैंक बंधपत्र के धारकों को ऐसी रीति में, जो वह विहित करे, सूचना देने के पश्चात्, बंधपत्रों के अधीन शोध्य रकम का प्रतिसंदाय, इस प्रकार नियत कालावधि या कालावधियों के पूर्व किसी भी समय कर सकेगा.

- (२) राज्य विकास बैंक,-
 - (क) केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार, राष्ट्रीय बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक या ऐसी अन्य वित्तीय संस्थाओं
 से, जो न्यासी द्वारा अनुमोदित की जाएं, उधारों या निक्षेणों के तौर पर;
 - (ख) जनता से निक्षेपों के तौर पर,

निधियां जुटा सकेगा.

न्यामी की नियुक्ति और शंकियां.

- ७. (१) रिजस्ट्रार डिबेन्चर धारकों के प्रति राज्य विकास बैंक की बाध्यताओं की पूर्ति सुनिश्चित करने और धारा ६ के अधीन जुटाई गई निधियों के प्रति बाध्यताओं की पूर्ति सुनिश्चित करने के प्रयोजन के लिए और धारा २० के प्रयोजन के लिए भी न्यासी होगा.
- (२) न्यासी, डिबेन्चरों के प्रयोजनार्थ न्यासी के नाम से एक एकल निगम होगा और उस रूप में उसका शास्त्रत उत्तराधिकार और सामान्य मुद्रा होगी और वह अपने निगमित नाम से वाद लाएगा और उक्त नाम से उसके विरुद्ध वाद
 - (३) न्यासी की शक्तियां और कृत्य, राज्य विकास बैंक और न्यासी के बीच निष्पादित न्यास की लिखत द्वारा, जैसी कि वह पारस्परिक करार द्वारा समय-समय पर उपांतरित की जाए, शासित होंगे कि
 - (४) जिला विकास बैंक के पक्ष में दी गई प्रतिभूतियां तथा राज्य विकास बैंक को धारा २० के उपबंधों के अधीन अंतरित की गई या अंतरित की गई समझी गई अन्य प्रतिभूतियां और आस्तियां ऐसे दिए जाने या अंतरण की तारीख से न्यासी में निहित हो जाएंगी.
 - (५) डिबेन्चर धारकों का ऐसी समस्त प्रतिभृतियों तथा आस्तियों पर, ऐसी प्रतिभृतियों के अधीन संदत्त और राज्य विकास बैंक या न्यासी के पास की अवशिष्ट रकमों पर राज्य विकास बैंक की अन्य संपत्तियों पर प्लबमान भार (फ्लोटिंग चार्ज) होगा.

डिबेन्चरों, बंधपत्रों और उधारों के लिए सरकार की प्रत्याभृति

- ८. (१) धारा ५ के अधीन निर्गमित डिबेन्चरों या धारा ६ के अधीन निर्गमित बंधपत्रों या लिए गए उधारों के मूलधन और उन पर के ब्याज के संबंध में, उस अधिकतम रकम तक, जो राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर नियत की जाए, और उन सक्तें के अध्यधीन रहते हुए, जिन्हें अधिरोपित करना वह डीक समझे, राज्य सरकार की प्रत्याभृति होगी.
- (२) राज्य सरकार, राज्य विकास बैंक और न्यासी से प्रसमर्श करने के पश्चात, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा तथा राज्य में और राज्य के बाहर के ऐसे प्रमुख समाचार पत्रों में, जिनका वह चयन करे, कम से कम बौदह दिन तक प्रकाशित स्चना द्वारा, उपधारा (१) के अधीन दो गई प्रत्याभूति की ऐसी अधिसूचना या सूचना में विनिर्दिष्ट तारीख से, जो राजपत्र में अधिसूचना के प्रथम प्रकाशन की तारीख से छह कलेंडर मास से पूर्व की नहीं होगी, समाप्त कर सकेगी, या उसकी अधिकतम रकम को निर्वन्धित कर सकेगी या उन शर्तों को उपांतरित कर सकेगी जिनके अध्यधीन रहते हुए वह दी गई है.

6. (1) The State Development Bank may, subject to such directions or instructions as may be issued by the Reserve Bank of India or the National Bank from time to time, and with the previous sanction of the State Government issue bonds, which shall be in the form of promissory notes repayable on the expiry of such period or periods from the date of issue thereof as may be approved by the Reserve Bank of India or the National Bank:

Issue of Bonds and Raising of Loans and Deposits.

Provided that the State Development Bank may repay the amount due under the bonds at any time before the period or periods so fixed, after issuing a notice in such manner as it may prescribe to the bond holders.

- (2) The State Development Bank may raise funds-
 - (a) by way of loans or deposits from the Central Government or a State Government the National Bank, the Reserve Bank of India or such other financial institutions as may be approved by the Trustee;
 - (b) hy way of deposits from the public.

a row and the

7. (1) The Registrar shall be the Trustee for the purpose of securing fulfilment of the obligations of the State Development Bank to its debenture-holders and for fulfilment of the obligations relating to the funds raised under section 6 as also for the purpose of section 20.

CHESTER THE TENEDON OF THE STORY OF THE PROPERTY OF STORY OF STORY

Appointment and Powers of Trustee.

- (2) The Trustee shall be a Corporation sole by the name of the Trustee for the purpose of debentures and as such shall have perpetual succession and a common seal and in his corporate name shall sue and be sued.
- (3) The powers and functions of the Trustee shall be governed by the instrument of trust executed between the State Development Bank and the Trustee, as modified from time to time by mutual agreement.
- (4) The securities furnished in favour of the District Development Bank and other securities and assets transferred or deemed to have been transferred under the provisions of section 20 to the State Development Bank shall vest in the Trustee from the date of such furnishing or transfer.
- (5) The debenture holders shall have a floating charge on all such securities and assets, on the amounts paid under such securities and remaining with the State Development Bank or with the Trustee and on the other properties of the State Development Bank.
- 8. (1) The principal of, and the interest on, debentures issued under section 5 or bonds issued or loans raised under section 6, to such maximum amount as may be fixed by the State Government from time to time and subject to such conditions as it may deem fit to impose, shall carry the guarantee of the State Government.

Government Guarantee for Debentures, Bonds and Loons

(2) The State Government may, after consulting the State Development Bank and the Trustee, by notification in the Official Gazette and by notice published for not less than fourteen days in such of the principal newspapers, in and outside the State as it may select, discontinue the guarantee given under sub-section (1), or restrict the maximum amount thereof, or modify the conditions subject to which it is given with effect from a date specified in such notification or notice not being earlier than six calendar months from the date of the first publication of the notification in the Gazette.

- (३) ऐसे मामले में, जहां प्रत्याभूति की अधिकतम रकम निर्बन्धित की जानी है या उन शतों में से, जिनके अध्यधीन रहते हुए वह दी गई है, किसी शर्त को उपान्तरित किया जाना है, सूचना में, यथास्थिति, निर्बन्धन या उपांतरण का विस्तार तथा प्रभाव पर्याप्त स्पष्टता के साथ उपदर्शित किया जाएगा.
- (४) उपधारा (२) के अधीन अधिसूचित कोई समाप्ति, निर्बन्धन या उपांतरण, उस तारीख के पूर्व, जिस तारीख को ऐसी समाप्ति, निर्वन्धन या उपांतरण प्रभावी होता है निर्गमित किन्हीं डिबेन्बरीं द्वारा वहन की गई प्रत्याभूति पर किसी। भी प्रकार से प्रभाव नहीं डालेगा.

प्रत्याभृति निधि.

- ९. (१) राज्य सरकार, राज्य विकास बैंक के पक्ष में दी गई या धारा २० के उपबंधों के अधीन अंतरित की गई प्रतिभूतियों पर राज्य विकास बैंक और जिला विकास बैंकों द्वारा दिए गए उधारों की पूरी वसूली, उन परिस्थितियों में जो नियमों में विनिर्दिष्ट की जाए, न होने के कारण उद्भूत हो सकने वाली हानियों की पूर्ति करने के प्रयोजनार्थ एक प्रत्योभृति निधि की स्थापना ऐसे निबन्धनों और शर्तों पर कर सकेंगी जो वह ठीक समझे.
- (२) राज्य विकास बैंक और जिला विकास बैंक प्रत्यांभूति निधि में ऐसी हरों से अभिदाय करेंगे जो विहित की जाएं.
 - (३) निधि ऐसी रीति में बनाए रखी जाएगी और उपयोग में लाई जाएगी जो विहित की जाए.

उधार स्थिरीकरण विधि की स्थापना

- १०. (१) राज्य विकास बैंक निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए उधार स्थिरीकरण निधि स्थापित करेगा—
 - (एक) उधारों या उधारों की किश्तों का प्रतिसंदाय मुस्तवी कर दिए जाने की दशा में अपनी बाध्यताओं का उन्मोचन करने हेतु स्वयं को समर्थ बनाने के लिए; या
 - (दो) निक्षेप निधि (सिंकिंग फण्ड) संबंधी ऐसी बाध्यताओं की पूर्ति करने के लिए जो सूखा या किसी अन्य प्राकृतिक विपत्ति के कारण फसलों के पूर्णत: या अंशत: नष्ट हो जाने के परिणामस्वरूप उद्भूत होती हैं; या
 - (तीन) राष्ट्रीय बैंक द्वारा यथावर्णित प्रामीण तथा कुटोर उद्योगों के उत्पादों की हानि प्राकृतिक विपत्ति द्वारा कारित होने के कारण किसी सदस्य द्वारा व्यतिक्रम किए जाने की दशा में अपनी बाध्यताओं के उन्मोचन के लिए स्वयं को समर्थ बनाने के लिए;
 - (चार) रजिस्ट्रार द्वारा अवधारित किसी अन्य प्रयोजन के लिए
- (२) राज्य विकास बैंक और जिला विकास बैंक ऐसी निधि में ऐसी दरों से अधिदाय करेंगे और निधि ऐसी रीति में बनाए रखी जाएंगी और उपयोग में लाई जाएंगी जो रजिस्ट्रार द्वारा अवधारित की जाएं
- (३) राज्य विकास बैंक इस निधि में किसी व्यक्ति या केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकार से समय-समय पर किए गए अभिदाय प्राप्त कर सकेगा.

इस अध्याय के प्रयोजन के सिंह विनिधम बनाने की राज्य विकास बैंक की शक्ति

- ११. शम्य विकास बैंक, न्यासी के अनुमोदन के अध्यथीन रहते हुए, निम्नलिखित के लिए ऐसे विनियम बना संकेगा नो इस अध्याय के उपनन्धों से असंगत न हों,---
 - (क) डिबेन्चरों या बंधपत्रों या निक्षेपों की कालावधि और उन पर देव ब्याज की दर नियंत करने के लिए:
 - (ख) डिबेन्चर या बंधपत्र के धारकों को सूचना देने के पश्चात् डिबेन्चर या बंधपत्र को वापस लेने के लिए:
 - (ग) श्रतिप्रस्त या विनष्ट डिबेन्चरों या बंधपत्रों के स्थान पर नये डिबेन्चर या बंधपत्र निर्गमित करने और ऐसे निर्गमन के लिए फीस नियत करने के लिए;

- (3) In case where the maximum amount of the guarantee is to be restricted or any of the conditions subject to which it is given, is to be modified, the notice shall set forth with sufficient clarity, the scope and effect of the restriction or modification, as the case may be.
- (4) Any discontinuance, restriction or modification notified under sub-section (2) shall not effect in any way the guarantee carried by any debentures issued prior to the date on which such discontinuance restriction or modification takes effect.
- 9. (1) The State Government may constitute a Guarantee Fund on such terms and conditions as it may deem fit for the purpose of meeting losses that may arise on account of loans advanced by the State Development Bank and District Banks on the securities furnished in favour of the state Development Bank or transferred under the provisions of section 20 not being fully recovered due to such circumstances as may be specified in the Rules.

Guarantee Fund

- (2) The State Development Bank and District Banks shall contribute to Guarantee Fund at such rates as may be prescribed.
 - (3) The Fund shall be maintained and utilised in such manner as may be prescribed.
- 10. (1) The State Development Bank shall constitute a Credit Stabilization Fund for the purpose of—

Credit Stabilization

- gnabling it to discharge its obligations in the event of postponement of repayment of loans or of instalments of loans; or
- meeting the obligations of Sinking Fund arising as a consequence of total or partial failure of crops on account of drought or any other natural calamity; or
- (iii) enabling it to discharge its obligations in the event of default by a member due to loss caused by a natural calamity in products of Rural and Cottage Industries as described by the National Bank.
- (iv) any other purpose as determined by the Registrar.
- (2) The State Development Bank and the District Development Banks shall contribute to the Fund at such rates and maintain and utilise it in such manner as may be determined by the Registrar.
- (3) The State Development Bank may receive contributions to the Fund made from time to time from any person or the Central Government and the State Government.
- 11. The State Development Bank shall, subject to the approval of the Trustee, make regulations not inconsistent with the provisions of this Chapter—

 for fixing the period of debentures, or bonds or deposits and the rate of interest payable thereon; Development Bank to make regulations for the purpose of this Chapter.

- (b) for calling in debentures or bonds after giving notice to debenture or bond holder, as the case may be:
- (c) for the issue of new debenture or bonds in place of debentures or bonds damaged or destroyed and fixing the fee for such issue;

- (घ) डिबन्चरों या बंधपत्रों के एक वर्ग को भिन्न ब्यान की दर वाले डिबेन्चरों या बंधपत्रों के िसी अन्य वर्ग में संपरिवर्तित करने के लिए; और
- (ङ) साधारणतः इस अध्याय के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए.

अध्याय ३—उधार

उधार देने की शक्ति

MATERIAL AND ASS.

१२. इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों के अध्यधीन रहते हुए, राज्य विकास बैंक और जिला विकास बैंक निम्नीलेखित प्रयोजनों के लिए उधार देने के लिए सक्षम होंगे,—

- (एक) कृषि और ग्रामीण विकास, और
- (दो) ऐसे अन्य प्रयोजन, जिनके लिए राष्ट्रीय बैंक से पुनर्वित्त सुविधाएं उपलब्ध हैं.

स्पष्टीकरण:—इस धारा के प्रयोजन के लिए "कृषि और ग्रामीण विकास प्रयोजनों" से अभिप्रेत है कोई ऐसा संकर्म, सिन्नमांण या क्रियाकलाप जिससे कृषि और ग्रामीण विकास में सहायता मिलती है और उनमें विशिष्टतया निम्नलिखित सम्मिलत हैं:—

- (क) कृषि के प्रयोजनों के लिए या कृषि में नियोजित मनुष्यों और पशुओं के उपयोग के लिए जल के भंडारकरण, प्रदाय या वितरण के लिए कुओं जिनके अनुगंत नलकूप, छिद्रकूप (बोरवेल) तथा खुदाई सहित छिद्र कूप (हम कम बोरवेल) भी है तालाबों और अन्य संकर्मों का सन्निर्माण और उनकी मरम्मत;
- (ख) पूर्वोक्त संकर्मों में से किसी संकर्म का नवीकरण या पुनर्निर्माण या उसमें परिवर्तन या परिवर्धन:
- (ग) सिंचाई के लिए भूमि तैयार करना जिसके अन्तर्गत सिंचित क्षेत्र विकास (कमाण्ड एरिया डेवलमेन्ट) भी है;
- (घ) कृषि के प्रयोजनों के लिए उपयोग में लाई जाने वाली भूमि या बंजर भूमि से, जो कृषि योग्य हैं जल निकास, नदी या अन्य जलाशयों से उसका उद्धार (रिक्लेम्श्रेशन) या बाढ़ों या जल द्वारा कटाव से या जल द्वारा अन्य नुकसान से उसका संरक्षण;
- (क्ष) बांध बांधना और वैसे ही सुधार;
- (च) कृषि के प्रयोजनों के लिए भूमि का उद्धार करना, उसकी सफाई करना और उसमें बाड़ लगाना या उसका स्थायी सुधार करना
- (स्र) उद्यान कृषि;
- (ज) सरस्यपालनः
- (झ) कुक्कुट पालन, पशु पालन या दुग्ध उद्योग;
- भेड़ और बकारियों का पालन-पोवण, सुअर पालन;
- (ट) हल बैलों का क्रय;
- (ट) इस धारा में वर्षित प्रयोजनों में से किसी भी प्रयोजन के लिए तेल इंजनों, पंपिंग सेटों और विद्युत मोटरों का क्रय और उनकी मरम्मत;

- (d) for converting one class of debentures or bonds into another class of debentures or bonds bearing a different rate of interest; and
- (c) generally for carrying out the provisions of this Chapter.

CHAPTER-III---LOANS

12. Subject to Rules made under this Act, it shall be competent for the State Development Bank and District Development Banks to Advance loans for the following purposes;

Power to Advance Loans.

- (i) agricultural and rural development; and
- such other purposes, for which refinance facilities are available from the National Bank.
 - Explanation:—For the purpose of this section "Agricultural and Rural Development purposes" means any work, construction or activity which aids agricultural and rural development and in particular includes the following:—
 - (a) construction and repair of wells including tubewells, borewells and dug-cumborewells, tanks and other works for storage, supply or distribution of water for the purposes of agriculture or for use of men and cattle employed in agriculture;
 - (h) renewal or reconstruction of any of the foregoing works or alteration therein or addition thereto:
 - (c) preparation of land for irrigation including Command Area Development;
 - (d) Drainage, reclamation from river or other waters, or protection from floods or from erosion or other damage by water, of land used for agricultural purposes or waste land which is culturable;
 - (e) bunding and similar improvements;
 - reclamation, clearance and enclosure or permanent improvement of land for agricultural purposes;
 - (g) horticulture;
 - (h) pisciculture:
 - (i) poultry, animal husbandry or dairy farming;
 - (j). sheep and goat rearing, piggery;
 - (k) purchase of plough-bullocks:
 - (1) purchase and repair of oil engines, pumping sets, and electrical motors for any of the purposes mentioned in this section;

- (इ) औजारों, उपकरणों और मशीनरी का क्रय;
- (ढ) ट्रैक्टरों, या पावर टिलर या किसी अन्य कृषि मशीनरी का क्रय और उनकी मरम्मत;
- (ण) भूमि में विशेष प्रकार की मृदा मिलाकर उसकी उत्पादन क्षमता में वृद्धि;
- (त) स्थायो प्रक्षेत्र-गृहों (फार्म हाउसेस), पशु शेडों और किसी भी प्रक्रम पर कृषि उपज के प्रसंस्करण के लिए शेडों का सिन्नर्माण, मरम्मत और पुनर्निर्माण;
- (व) गन्मा पेरने, गुड़ बनाने के लिए मशीनरी का क्रय;
- (द) कृषि उपन्न की कटाई तथा प्रसंस्करण के लिए मंग्रीनरी का क्रय;
- (ध) मधुमक्खी पालन, रेशम के कीड़े पालना जिसके अंतर्गत रेशम का उत्पादन भी है;
- (न) वृक्षारोपण, जिसके अन्तर्गत वृक्षों से फल उत्पादन (र्.) क्राप्स) भी है;
 - (प) कृषि वनोद्योगः
 - (फ) कृषि, कुटीर और औद्योगिक उत्प्रदों का परिवहन, भण्डारकरण, जिसके अंतर्गत ग्रामीण भांडागर. गोदाम और शीतागर भी है तथा विपणन और ऐसे क्रियाकलापों से संबंधित उपकरणों और मशीनरी जिसके अन्तर्गत पशुकालित गाड़ियां भी हैं, का अर्जन;
 - (ब) कृषि उपज के लिए मंडी प्रांगण;
 - (भ) बायो गैस संयत्रों की स्थापना;
 - (म) विनिधान साख (इन्वेस्टमेंट क्रेडिट) के लिए उधार लेने वालों के लिए कामकाजी पूंजी या उत्पादन हेत् उधार:
 - (य) कुटीर और ग्रामोद्योगों की स्थापना;
- (क-१) सहकारी चीनी कारखाना, कताई मिल या किसी कृषि प्रसंस्करण उद्योग में शेयरों का क्रय;
- (ख-१) विद्युत की पारेषण लाइनों का विद्याया जाना और ग्रामीण विद्युतीकरण;
- (ग-१) ऊर्जा के गैर परम्परागत स्त्रोतों का विकास और उपयोग;
- (घ-१) दुग्ध झीतन प्लान्ट की स्थापना;
- (ङ-१) ग्रामीण निवास गृह जिसके अंतर्गत भू-खण्ड का अर्जन भी है, का अर्जन, सिन्नमॉण, पुनर्निमाण या भरम्मत:
- (च-१) समस्त ऐसे अन्य क्रियाकलाप जो ऊपर वर्णित प्रयोजनों से प्रासंगिक या आनुषंगिक हैं या जो पुनर्वित अभिकरणों के परामर्श से राज्य भूमि विकास बैंक के बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया जाए, असहमति को दशा में बोर्ड का विनिश्चय अंतिम होगा.

- (m) purchase of tools, implements, machinery;
- (n) Purchase and repair of tractors or powertillers or any other agricultural machinery;
- increase of the productive capacity of land by addition to it of special variety of soil;
- (p) construction, repair and reconstruction of permanent farm-houses, cattle-sheds and sheds for processing of agricultural produce at any stage;
- (q) purchase of machinery for crushing sugarcane, manufacturing Gur;
- (r) purchase of machinery for harvesting and processing of agricultural produce;
- (s) apiculture, sericulture including production of silk;
- (t) plantation including tree crops;
- (u) agro-forestry;
- transportation, storage including rural warehouses, godowns, and cold-storage, and marketing of agricultural, cottage and industrial products, and acquisition of implements and machineries including animal-driven carts in connection with such activities;
- (w) market yards for agricultural produce;
- (x) establishment of bio-gas plant;
- (y) working capital or production credit to borrowers of investment credit;

THE PARTY OF THE SECOND

- (z) setting up of cottage and village industries;
- (a-1) purchase of shares in Co-operative sugar factory, spinning mill or any agroprocessing industry;
- (b-1) laying of transmission lines of electricity, and rural electrification;
- (e-1) development and use of non-traditional sources of energy;
- (d-1) establishment of milk-chilling plant.
- (e-1) acquisition including acquisition of plot, construction, reconstruction or repair of rural dwelling houses;
- (f-1) all such other activities as are incidental or ancillary to the above mentioned purposes or as may be approved by the Board of the State Land Development Bank in consultation with the Refinancing Agencies, in case of any disagreement the Board's decision shall be final."

उधार और अधिम किसे मंजूर किए जा सकेंगे.

- १३. (१) मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, १९६० (क्रमांक १७ सन् १९६१) में अंतर्षिष्ट किसी बात के होते हुए भी, धारा १२ में वर्णित प्रयोजनों के लिए राज्य विकास बैंक या जिला विकास बैंक द्वारा निम्नलिखित को उधार मंजुर किया जा सकेगा—
 - (क) मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, १९६० (क्रमांक १७ सन् १९६१) के अधीन रिजस्ट्रीकृत कोई सहकारी सोसाइटी; या
 - (ख) भारतीय संविदा अधिनियम, १८७२ (१८७२ का सं. ११) की धारा ११ के अधीन संविदा करने के लिए सक्षम कोई व्यष्टि:या
 - (ग) मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट्स एक्ट, १९५१ (क्रमांक ३० सन् १९५१) के अधीन रजिस्ट्रीकृत कोई लोक न्यास: या ॰
 - (घ) तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन स्थापित या गठित यथास्थिति कोई फर्म, कम्पनी या कोई अन्य निगमित निकाय; या
 - (ङ) मध्यप्रदेश सांसाइटी रिजस्ट्रीकरण अधिनियम, १९७३ (क्रमांक ४४ सन् १९७३) के अधीन रिजस्ट्रीकृत कोई सोसाइटी, जिसे राज्य सरकार साधारण या विशेष आदेश द्वारा इस निमित्त अनुमोदित करे; या
 - (च) 😘 कोई अवयस्क (माइसर), जो न्यायालय द्वारा नियुक्त संरक्षक के माध्यम से कार्य करता है :

तरमा क्रांकित कार क्रिक्ट कार के क्षेत्र के स्टब्स के स्टब्स के स्टब्स हैं जैसा कि परन्तु उधार उन्हें मंजूर किया जाएगा जो राज्य विकास बैंक या जिला विकास बैंक के सदस्य हैं जैसा कि उपविधियों में उपबंधित हैं.

(२) तत्समय प्रवृत्त किसी विधि में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, जिला विकास बैंक, भूमि के संयुक्त भृति के किसी सदस्य को उसमें उसके अंश की सीमा तक ही उधार मंजूर कर सकेंगे.

सदस्यता के कांतपय प्रयमी का विनिधमन १४. राज्य विकास बैंक या कोई जिला विकास बैंक, रजिस्ट्रार के पूर्व अनुमोदन के अध्यधीन रहते हुए, किसी कंपनी या निगम या व्यक्तियों के निकाय को सदस्य के रूप में सम्मिलित करेगा.

उधारों के लिए प्रतिभृति १५. (१) मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, १९६० (क्रमांक १७ सन् १९६१) में अंतर्विष्ट किसी बात के हाते हुए भी, राज्य विकास बैंक या जिला विकास बैंक उधार मंजूर करने के लिये रिजस्ट्रार द्वारा अनुमोदित मूल्यांकन के सिद्धान्तों के आधार पर निम्नलिखित प्रतिभूतियों में से किसी भी प्रतिभूति को स्वीकार कर सकेंगे:—

- (एक) बंधकः
- (दो) गिखी;
- (तीन) आडमान (हाइपोधेकेशन);
- (चार) धारणाधिकार
- (षांच) सरकारी प्रत्याभृति;
- (छह) प्रतिभू:
- (सात) बंधपत्रः
- (आठ) प्रत्याभृति; और
- (नौ) वचन पत्र.

13. (1) Notwithstanding anything contained in the Madhya Pradesh Co-operative Societies Act. 1960 (No. 17 of 1961) loans for the purposes mentioned in section 12 may be granted by the State Development Bank or a District Development Bank to the following:—

Who can be Granted loans and advances.

- (a) a Co-operative Society registered under the Madhya Pradesh Co-operative Societies
 Act. 1960 (No. 17 of 1961); or
- (b) an individual competent to contract under section 11 of the Indian Contract Act, 1872 (No. 11 of 1872); or
- (c) a public trust registered under the Madhya Pradesh Public Trusts Act, 1951 (No 30 of 1951); or
- (d) a Firm, a Company or any other body corporate established or constituted, as the case may be, under any law for the time being in force; or
- (e) a Society registered under the Madhya Pradesh Society Registrikaran Adhiniyam, 1973 (No. 44 of 1973) as may be approved by the State Government in this behalf by general or special order; or
- (f). a minor acting through a guardian appointed by the Court;

Provided that the loan shall be granted to those who are members of the State Development Bank or District Development Bank as provided in the bye-laws.

- (2) Notwithstanding anything contained in any law for the time being in force, District Development Banks may grant loans to any member of a joint holding in land, only to the extent of his share therein.
- 14. The State Development Bank or a District Development Bank shall admit any company or corporation or body of persons as member subject to the prior approval of the Registrar.

Regulation of certain categories of membership.

15. (1) Notwithstanding anything contained in the Madhya Pradesh Co-operative Societies Act, 1960 (No. 17 of 1961) the State Development Bank or District Development Banks may accept any of the following securities for grant of loans on the basis of principles of valuation approved by the Registrar:—

Security for loans.

- (i) Mortgage;
- (ii) Pledge;
- (iii) Hypothecation:
- (iv) Lien;
- (v) Government Guarantee;
- (vi) Surety:
- (vii) Bond;
- (viii) Guarantee; and,
- (ix) Promissory Note.

- (२) राज्य विकास बैंक या जिला विकास बैंक द्वारा दिए गए समस्त उधार तथा उसे संदेश या उसके द्वारा वसूली यांग्य समस्त रकमें, संदाय में व्यतिक्रम किए जाने की दशा में, उक्त बैंकों को उपलब्ध अन्य उपचारों के अतिरिक्त, भू-राजस्व की बकाया के तौर पर वसूली योग्य होंगी.
- (३) उधार लेने वाले से उधार और उस पर स्थाज वसूल न होने की दशा में वह प्रतिभू या प्राचाभूतिदाता से, ऐसी रीति में जैसी कि विहित की जाए, वसूली योग्य होगा.

उधार के लिए आवेटन का निपटाका आसा. १६. जब धारा १२ में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों में से किसी प्रयोजन के लिए उधार हेतु कोई आवेदन किया जाता है, तो उसका निपटारा ऐसी रोति में, ऐसे प्राधिकारी द्वारा और ऐसे समय के भीतर किया जाएगा जो विहित किया जाए.

उधार पंजूर करने का आदेश कतिपय पापली के संबंध में निश्चायक क्षेगा.

- १७. एज्य विकास बँक या किसी जिला विकास बँक द्वारा या धारा १२ में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों में से समस्त या किसी प्रयोजन के लिए उधार देने के लिए उसकी उपविधियों के अधीन प्रधिकृत व्यक्तियों या समितियों द्वारा दिया गया कोई लिखित आदेश, जिसके द्वारा इस अधिनियम के प्रारंभ के पूर्व या उसके पश्चात, किसी व्यक्ति को या उसमें उल्लिखित व्यक्ति की सम्मित से, भूमि के विकास के लिये उसमें विनिर्दिष्ट कार्यों को कार्यान्वित करने के प्रयोजनार्थ या उसमें विनिर्दिष्ट कृषि और आसीण विकास के प्रयोजनार्थ या उसमें विनिर्दिष्ट कृषि और आसीण विकास के प्रयोजनार्थ उधार दिया गया है इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए, निम्नलिखित मामलों के संबंध में निश्चायक होगा:—
 - (क) यह कि वर्णित कार्य या वह प्रयोजन, जिसके लिए उधार दिया गया है, धारा १२ के अर्थ के अंतर्गत कृषि और ग्रामीण विकास प्रयोजन है;
 - अतः (खा) ा वह कि उस व्यक्ति को आदेश को तारीख को, अधास्थिति, ऐसा सुधार करने या कृषि और ग्रामीण विकास प्रयोजनों के लिए व्यय उपगत करने का अधिकार था; और
 - (ग) यह कि एसा सुधार विनिर्दिष्ट भूमि को फायदा पहुंचाने वाला सुधार है; और
 - यह कि कृषि और ग्रामीण विकास प्रयोजन प्रतिभृति के लिए प्रस्थापित भूमि या उसके किसी ऐसे भाग से, जो सुसंगत हो, संबंधित है.

किसी जिला विकास श्रेक से उधार के लिए आवेदम शपथ-पत्र द्वारा समर्थित होगा.

- १८. (१) प्रत्येक ऐसा व्यक्ति, जो जिला विकास बैंक से किसी उधार के लिए आवेदन करता है, राज्य विकास बैंक द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट अधिकारी के समक्ष ऐसे प्ररूप में, जो विहित किया जाए, शपथ-पत्र पर घोषणा करेगा कि उधार के लिए प्रतिभूति के रूप में दी गई जंगम या स्थावर सम्पत्ति विल्लंगमों से मुक्त है और यह कि वह उसके वास्तविक कब्जे में है और यह कि उसे जिला विकास बैंक के पक्ष में ऐसी प्रतिभृति देने का अधिकार है.
- (२) तत्समय प्रवृत्त किसी विधि में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, जहां किसी जंगम या स्थावर सम्पत्ति के संबंध में उपधारा (१) के अधीन कोई शपथ-पत्र मिथ्या या त्रुटिपूर्ण है, वहां धारा २० के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, आवेदक की समस्त अन्य जंगम और स्थावर सम्पत्तियों पर जिला विकास बैंक का प्रथम भार होगा और ऐसी समस्त सम्पत्तियों के संबंध में यह समझा जाएगा कि वे जिला विकास बैंक द्वारा आवेदक को मंजूर किए गए उधार के लिए आवेदक द्वारा दी गई प्रतिभृति में सम्मिलित है.
- (३) कोई भी व्यक्ति, जो उपधारा (१) के अधीन मिध्या ज्ञपथ-पत्र देता है या किसी ऐसे ज्ञपथ-पत्र में कोई ऐसा कथन करता है, जो मिध्या है, वह उपधारा (२) के अधीन की कार्रवाई के अतिरिक्त भारतीय दण्ड संहिता, १८६० (१८६० का सं. ४५) के अधीन भी दण्डनीय होगा.
- (४) उधार की वह रकम, जो उपधार। (१) के अधीन दिए गए शपथ-पत्र के आधार पर मंजूर की जा सकेगी, ऐसी सीमा के अध्यधीन होगी जो विहित की जाए.

- (2) All loans advanced by and all amounts payable to or recoverable by the State Development Bank or District Development Banks shall, in case of default of payment, be recoverable as arrears of land revenue in addition to other remedies available to them.
- (3) In case a loan and interest thereon is not recovered from the horrower, it shall be recoverable from the surety or guarantor in such manner as may be prescribed.
- 16. When an application for a loan is made for any of the purposes specified in section 12, it shall be disposed of in such manner, by such authority and within such time, as may be prescribed.

Disposal of application for loan.

17. A written order by the State Development Bank or a District Development Bank or by the persons of Committees authorised under its bye-laws to make loads for all or any of the purposes specified in section 12, advancing either before or after the commencement of this Act, a loan to or with the consent of a person mentioned therein, for the purpose of carrying out the work specified therein for the development of the land or for the agricultural and rural development purposes specified therein, shall, for the purposes of this Act, be conclusive of the following matters:

Order granting loan conclusive of certain matters

- (a) that the work described or the purpose for which the loan is granted is an Agricultural and Rural Development purpose within the meaning of section 12;
- that the person had on the date of the order a right to make such an improvement or incur expenditure for Agricultural and Rural Development purposes, as the case may be;
- (c) that the improvement is one benefitting the land specified; and,
- (d) that the Agricultural and Rural Development purpose concerns the land offered in security, or any part thereof as may be relevant.

The section of the se

18. (1) Every person who applies for a loan from a District Development Bank shall give declaration on an affidavit in such form as may be prescribed before an officer specified by the State Development Bank in this behalf that the movable or immovable property furnished as security for the loan is free from encumbrances and that he is in actual possession thereof and that he has the right to furnish such security in favour of the District Development Bank,

Application for loss from a District Development Bank to be supported by affidavit.

- (2) Notwithstanding anything contained in any law for the time being in force, where an affidavit under sub-section (1) in respect of any movable or immovable property is false or defective, the District Development Bank shall, subject to the provisions of section 20, have a first charge on all other movable and immovable properties of the applicant, and all such properties shall be deemed to have been included in the security furnished by the applicant for the loan granted to him by the District Development Bank.
- (3) Any person, who makes a false affidavit under sub-section (1) or makes any statement which is false in any such affidavit shall, in addition to action under sub-section (2), be punishable also under the Indian Penal Code, 1860 (45 of 1860).
- (4) The amount of loan that may be sanctioned on the basis of an affidavit made under subsection (1) shall be subject to such limit as may be prescribed.

प्रतिभूतियों पर दानों की पूर्विकता.

- १९. (१) राज्य विकास बैंक या किसी जिला विकास बैंक के पक्ष में दी गई प्रतिभूति के अधीन देय किसी रकम को, भूमि विकास उधार अधिनियम, १८८३ (१८८३ का सं. १९) या कृषक उधार अधिनियम, १८८४ (१८८४ का सं. १२) या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन किसी ऐसे उधार से, जो यथास्थिति, राज्य विकास बैंक या जिला विकास बैंक के पक्ष में प्रतिभूति दिये जाने के पश्चात् मंजूर किया गया है, उद्भूत होने वाले सरकार के किसी भी दावे पर पूर्विकता प्राप्त होगी.
- (२) तत्समय प्रवृत्त किसी विधि में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, राज्य विकास बैंक या किसी जिला विकास बैंक के पक्ष में दी गई प्रतिभूति को, उन संपत्तियों को किसी कुर्की या बंधक या भार पर उस दशा में अप्रता प्राप्त होगी जब कि ऐसे प्ररूप में, और ऐसी रीति में, जो बिहित किया जाए, सूचना के प्रकाशन के पश्चात, ऐसी कुर्की या बंधक या भार के अधीन दावा या हित, उक् जूचना में विनिर्दिष्ट समय के भीतर यथास्थित, राज्य विकास बैंक या जिला विकास बैंक को अधिस्पृष्टित नहीं किया गया है.
- (३) मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, १९५९ (क्रमांक २० सन् १९५९) में या तरसमय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए मी, जहाँ किसी जिला विकास बैंक के पक्ष में दी गई कोई प्रतिभूति किसी ऐसी भूमि के संबंध में है, जिसमें किसी मौरुसी कृषक का कोई हित है, वहां बंधक या आडमान ऐसे हित की प्रतिभूति पर हो सकेगा, और मौरुसी कृषक द्वारा उक्त संहिता की अपेक्षाओं का पालन न किए जाने से राज्य विकास बैंक या जिला विकास बैंक के अधिकार प्रभावित नहीं होंगे और उक्त संहिता के अधीन उस भूमि का और उसमें के उसके हित का विक्रय राज्य विकास बैंक या जिला विकास बैंक के पूर्विक भार के अध्यापीन होगा.

प्रतिभूति को राज्य विकास बैंक का अंतरण और उसमें उसका निहित होगा. २०. संपत्ति अंतरण अधिनियम, १८८२ (१८८२ का सं. ४) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी किसी जिला विकास बैंक के पक्ष में दी गई या दी गई समझी गई प्रतिभृति और उसे अंतरित या अंतरित समझी गई समस्त अन्य आस्तियां इस प्रकार दिये जाने या अंतरित किए जाने की तारीख से या ऐसे निष्पादन या अंतरण की तारीख से, जैसी भी कि दत्ता हो, ऐसे जिला विकास बैंकों द्वारा राज्य विकास बैंक को अंतरित कर दी गई समझी आएंगी.

भूमि के विकास के लिए उधार लिया गया भग २१. जहां किसी जिला विकास बैंक ने कृषि विकास के किसी विनिर्दिष्ट कार्यक्रम के अन्तर्गत आने वाले किसी क्षेत्र या किन्हों क्षेत्रों में स्थित किसी भूमि के सुधार के लिए किसी ऐसे व्यक्ति को, जिसके संबंध में जिला विकास बैंक को यह प्रतीत होता है कि वह उक्त भूमि का हक रखता है या वह भूमि उसके विधिपूर्ण कब्जे में है, उधार मंजूर किया है, और वह धन या तो संपूर्णत: या भागत: ऐसे सुधार के लिए उपयोग में लाया गया है, वहां किसी भी उधार पर ऐसी भूमि पर हक अर्थित करने वाला कोई व्यक्ति जिला विकास बैंक को उधार के उतने भाग का, जिसका उपयोग भूमि के सुधार के लिए किया गया है, उस पर ब्याज सहित, प्रतिसंदाय करने का दायी होगा.

२२. विलोपित.

was be could be because a supplier that see in the color of the firm in

Priority of claims over securities.

19. (1) Any amount payable under a security furnished in favour of the State Development Bank or a District Development Bank shall have priority over any claim of the Government arising from a loan, under the Land Improvement Loans Act, 1883 (XIX of 1883) or the Agriculturists Loans Act, 1884 (XII of 1884) or under any other law for the time being in force, granted after the security is furnished in favour of the State Development Bank or a District Development Bank, as the case may be.

- (2) Notwithstnading anything contained in any law for the time being in force, a security furnished in favour of the State Development Bank or a District Development Bank shall take precedence over any attachment or mortgage or charge over the properties, where, after publication of a notice in such form and manner as may be prescribed, the claim or interest under such attachment or mortgage or charge has not been notified to the State Development Bank or the District Development Bank as the case may be within the time specified in the said notice.
- (3) Notwithstanding anything contained in the Madhya Pradesh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959) or any other law for the time being in force, where a security furnished in favour of a District Development Bank is in respect of land in which an occupancy tenant has an interest the mortgage or hypothecation may be against the security of such interest, and the rights of the State Development Bank or District Development Bank shall not be affected by the failure of the occupancy tenant to comply with the requirements of the said Code, and the sale of the land and his interest therein under the said Code shall be subject to the prior charge of the State Development Bank or the District Development Bank.
- 20. Notwithstanding anything contained in the Transfer of Property Act, 1882 (IV of 1882), a security furnished or deemed to have been furnished in favour of; and all other assets transferred or deemed to have been transferred to a District Development Bank shall; with effect from the date of such furnishing or transfer or with effect from the date of such execution or transfer, as the case may be she taken to have been transferred by such District Development Banks to the State Development Bank.

real grant a rolling that grown descriptions

of Africa (5° Ar

Transfer and Vesting of security with State Development Bank.

21. Where a District Development Bank has granted a loan for improvement of any land situated in any area or areas covered by any specific programme of Agricultural Development to a person appearing to the District Development Bank to have title to the said land or to be in lawful possession thereof, and the money has been either in whole or in part utilised for such improvement, any person acquiring title to such land on any ground whatsoever, shall be liable to repay to the District Development Bank so much of the loan as has been utilised for the improvement of the land together with interest thereon.

Money horrowed for Development of Land.

22. Omitted.

เปล่า ซึ่งสะชน์ดีส่วน ก่อง คลามเก

अध्याय ४—उपज का करस्थम और विक्रय

करम्थम कब किया जाएगाः

- २३. (१) यदि राज्य विकास बैंक या किसी जिला विकास बैंक के पक्ष में दो गई किसी प्रतिभृति के अधीन देय कोई किश्त या ऐसी किश्त का कोई भाग उस तारीख से, जिसको वह शोध्य हो गया है, एक मास से अधिक समय तक के लिए अदत्त रहता है, तो राज्य विकास बैंक या जिला विकास बैंक, उसको उपलब्ध किसी अन्य उपचार के अतिरिक्त. रिजस्ट्रार को व्यक्तिक्रमी की भूमि को उपज या उत्पादों के, जिनसे प्रतिभृति संबंधित है, जिनके अंतर्गत उस पर खड़ी फसलें और अन्य जंगम संपत्ति भी हैं, के करस्थम और विक्रय द्वारा ऐसी किश्त या उसके भाग की वसूली करने के लिए आवेदन कर सकेगा.
- (२) ऐसा आवंदन प्राप्त होने पर, रिजस्ट्रार, माल विक्रय अधिनियम, १९३० (१९३० का सं. ३) या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, ऐसी कार्रकाई कर सकेगा जो ऐसी उपज या उत्पादों या जंगम संपत्ति का करस्थम और विक्रय करने के लिए आवश्यक है.
- (३) राज्य सरकार, राजपत्र में प्रकाशित साधारण या विशेष आदेश द्वारा, यह मोबित कर सकेगी कि उपधारा (१) में निर्दिष्ट उपज का या आय उत्पन्न करने वाले अंतर्निहित क्रियाकलाप चलाने के लिए अपेक्षित कच्ची सामग्री का उतना भाग जो राज्य सरकार को आगामी फसल होने तक भूमि पर सम्यक् खेती करने के लिए उत्पादन का चालू चक्र पूर्ण कर लेने तक उधार गृहीता और उसके कुटुम्ब के भरण पोषण का प्रकच्च करने के प्रयोजनार्थ आवश्यक प्रतीत होता है, इस अधिनियम के अधीन करस्थम और विकाय के दायित्व से मुक्त रहेगा.
 - (४) (क) उधार गृहीता की जंगम संपत्ति के रूप में करस्थम किये गये पशु की करस्थमकर्ता द्वारा अपने खर्च पर कांजीहाउस में अभिरक्षा में रखा जा सकेगा.
 - (ख) ऐसे मामलों में पशु अतिचार अधिनियम, १८७१ (१८७१ का सं. १) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, ऐसे पशु को केवल करस्थमकर्ता के आदेश के अध्यधीन रहते हुए कांजीहाउस से छोड़ा जाएगा और पशु अतिचार अधिनियम के उपनन्धों के अनुसार ऐसे पशु का नीलाम किया जाने की दशा में विक्रय आगमों को, कांजीहाउस द्वारा उपगत व्यय की कटाँती किए जाने के पश्चात् जिला विकास बैंक में जमा कर दिया जाएगा.

(५) इस धारा में की कोई भी बात निम्नलिखित के करस्थम और विक्रय को अनुजात नहीं करेगी; अर्थात्—

- (एक) व्यतिक्रमी और उसकी पत्नी तथा बच्चों के लिए आवश्यक पहनने के वस्त्र, भोजन बनाने के बर्तन, चारपाई और बिछाने और ऐसे निजी आभूषण जिन्हें किसी स्त्री द्वारा अपनी धार्मिक प्रथा के अनुसार अपने से पृथक नहीं किया जा सकता;
- (दो) कारीगरों के औजार, यांत्रिक शक्ति द्वारा चितित किसी उपकरण को छोड़कर खेती के उपकरण, और ऐसे पशु तथा बीज जो रिजस्ट्रार की राय में व्यक्तिक्रमी को उस हैसियत से अपनी जीविका उपार्जित करने में समर्थ बनाने के लिए आवश्यक हों;
- (तीन) किसी धार्मिक विन्यास के उपयोग के लिए अनन्यरूपेण पृथक् रखी गई वस्तुएं.
- (६) करस्थम अत्यधिक नहीं होगा, और करस्थम की गई संपत्ति का मूल्य यथासंभव निकटतम शोध्य रकम तथा करस्थम के व्ययों और विक्रय के खर्च के बराबर होगा:

परन्तु इस बारे में हुई कोई भूल, त्रुटि या अनियमितता इस अधिनियम के अधीन किए गए करस्थम या विक्रय को अविधिमान्य नहीं बनाएगी.

करम्बार किस प्रकार किया जाएगा.

- २४. (१) जब धारा २३ के अधीन करस्थम किया जाता है तो करस्थमकर्ता व्यतिक्रमी पर लिखित मांग की तामील करेगा या करवायेगा जिसमें वह रकम विनिर्दिष्ट की जाएगी जिसके लिए करस्थम किया गया है.
- (२) मांग की सूचना पर करस्थमकर्ता द्वारा तारीख अंकित की जाएगी और हस्ताक्षर किए जाएंगे और व्यतिक्रणी पर उसकी तामील, उसकी एक प्रति उसे या उसके कुटुम्ब के किसी वयस्क पुरुष सदस्य को उसके प्रायिक निवास स्थान पर या उसके कार्यालय या रिजस्ट्रीकृत कार्यालय में या उसके प्राधिकृत अभिकर्ता को परिदत्त करके की जाएगी, या यदि तामील इस प्रकार नहीं को जा सकती है तो मांग की सूचना की एक प्रति उसके निवास स्थान या कार्यालय या रिजस्ट्रीकृत कार्यालय के या उस भूमि के जिससे प्रतिभृति संबंधित है, किसी सहजदृश्य भाग पर लगाकर की जाएगी.

CHAPTER—IV DISTRAINT AND SALE OF PRODUCE

23. (1) If any instalment or any part thereof payable under a security furnished in favour of the State Development Bank or a District Development Bank has remained unpaid for more than one month from the date on which it fell due, the State Development Bank or the District Development Bank may, in addition to any other remedy available to it, apply to the Registrar for recovery of such instalment or part thereof by distraint and sale of the produce of the land or products to which the security relates, including standing crops thereon and other movable property of the defaulter.

Distraint when to make.

- (2) On receipt of such application, the Registrar may, notwithstanding anything contained in the sale of Goods Act, 1930 (3 of 1930) or any other Law for the time being inforce take such action as is necessary to distrain and sell such produce or products or movable property.
- (3) The State Government may, by general or special order published in the Gazette, declare that such portion of the produce referred to in sub-section (1), or raw material required to maintain the income generating activity involved as may appear to the State Government to be necessary for the purpose of providing until the next harvest for the due cultivation of the land or till completion of current cycle of production for the support of the loance and his family, shall be exempted from hability to distraint and sale under this Act.
- (4) (a) Cattle distrained as movable property of a loanee may be kept in custody in a cattle pound by the distrainer at his cost.

maggi jakwayay bilik

- (b) In Such cases, notwithstanding anything contained in the Caute Tresspass Act, 1871 (No. 1 of 1871). Caute shall be released from the pound only on the order of distrainer and, in the event of such caute being auctioned according to the provisions of Cattle Tresspass Act; the sale proceeds, after deduction of expenditure incurred by pound, shall be deposited with the District Development Bank.
 - (5) Nothing in this section shall permit the distraint and sale of the following, namely:-
 - (i) the necessary wearing apparel, cooking vessets, beds, and bedding of the defaulter and his wife and children, and such personal ornaments as cannot be parted with by any woman in accoordance with her religious usage;
 - (ii) tools of artisans, implements of husbandry except an implement driven by mechanical power and such cattle and seed-grain as may, in the opinion of the Registrar be necessary to enable the defaulter to earn his livelihood as such:
 - (iii) articles set aside exclusively for the use of a religious endowment.

The comparison of the control of the

(6) The distraint shall not be excessive and the value of the property distrained shall be as nearly as possible equal to the amount due and the expenses of the distraint and the cost of the sale:

Provided that any mistake, defect or irregularity in this respect shall not invalidate a distraint or sale under this Act.

24. (1) When a distraint is made under section 23, the distrainer shall serve or cause to be served upon the defaulter a written demand specifying the amount for which the distraint is made.

Distraint when to

(2) The notice of demand shall be dated and signed by the distrainer and shall be served upon the defaulter by delivering a copy thereof to him or to some adult male member of his family at his usual place of residence or office or Registered Office or to his authorised agent, or if such service cannot be effected, by affixing a copy of the notice of demand on some conspicuous part of his residence or office or registered office or of the land to which the security relates.

करस्थ्रप की गई सम्पत्ति का विक्रय.

- २५. (१) यदि, धारा २४ में निर्दिष्ट मांग की सूचना की तामील की तारीख से पन्द्रह दिन के भीतर, व्यतिक्रमी उस रकम का, जिसके लिए करस्थम किया गया था, संदाय नहीं करता है तो करस्थमकर्ता करस्थम की गई संपत्ति का या उसके ऐसे भाग का, जो उसकी राय में करस्थम के व्यय तथा विक्रय के खर्चे सहित, मांग की पूर्ति करने के लिए आवश्यक हो, नीलाम द्वारा विक्रय कर सकेगा.
- (२) ऐसे विक्रय के आगमों में से विक्रय के खर्चों के मद्दे ऐसी दर से कटौती की जाएगी जो रजिस्ट्रार द्वारा समय-समय पर नियत की जाए.
 - (३) करस्थमकर्ता द्वारा करस्थम के मद्दे किए गए व्ययों की कटौती अतिशेष में से की जाएगी.
- (४) शेष रकम, यदि कोई हो, उस रकम के चुकाए जाने के लिए उपयोजित की जाएगी जिसके लिए करस्थम किया गया था.
- (५) अधिशेष, यदि कोई हो, उस व्यक्ति को परिदेत्त कर दिया जाएगा जिसकी संपत्ति का विक्रय किया गया है और विक्रय के आगमों से चुकाई गई रकम के लिए उसे रसीद भी दी जाएगी.

अध्याय ५--न्यायालय के मध्यक्षेप के बिना संपत्ति का विक्रय

भारित संपत्ति को न्यायास्य के मध्यक्षेत्र के विभा विक्रय काने की गांक

- २६. (१) मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, १९६० (क्रमांक १७ सन् १९६१) या ट्रस्टी एण्ड मॉरगेजीज पायर्स एक्ट, १८८६ (१८८६ का सं १८) या तस्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, जहां कोई प्रतिभृति जंगम या स्थावर संपत्ति के संबंध में राज्य विकास बैंक या किसी जिला विकास बैंक के पक्ष में दी मई है, वहां बैंक या उस अयोजन के लिए प्राधिकृत किसी व्यक्ति को, उस दशा में जबकि बैंक को शोध्य राशियों के संदाय में व्यतिक्रम किया जाता है, उसे उपलब्ध किसी अन्य उपचार के अतिरिक्त, यह शक्ति होगी कि वह किसी न्यायालय के मध्यक्षेप के बिना उस संपत्ति का जिससे प्रतिभृति संबंधित है विक्रय करे.
- (२) ऐसी किसी शक्ति का प्रयोग किसी जिला विकास बैंक द्वारा तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि राज्य विकास बैंक ने ऐसे विक्रय को, उपधारा (१) द्वारा उसे प्रदत्त शक्ति को प्रयोग में लाते हुए, पूर्व में ही प्राधिकृत न कर दिया हो :

परन्तु यदि जिला विकास बैंक द्वारा या इस प्रयोजन के लिए उसके द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा निर्देश किए जाने से तीस दिन के भीतर राज्य विकास बैंक से कोई उत्तर प्राप्त नहीं होता है तो यह समझा जाएगा कि उसने ऐसी शक्ति के प्रयोग को प्राधिकृत कर दिया है :

परन्तु यह और भी कि ऐसे मामले में जहां ऋण जिला विकास वैंक द्वारा उसकी अपनी निधि में से दिया जाता है वहां अनुमोदन आवश्यक नहीं होगा

- (३) ऐसी किसी शक्ति का प्रयोग राज्य विकास बैंक या किसी जिला विकास बैंक द्वारा तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि—
 - (क) जिला विकास बैंक को शोध्य राशियों या उसके किसी भाग के संदाय की अपेक्षा करने वाली सूचना निम्नलिखित पर तामील न कर दी गई हो—

्(एक) उधारप्रहीता परः

(दो) किसी ऐसे व्यक्ति पर, जिसका उस संपत्ति पर, जो प्रतिभूति से संबंधित है, कोई हित वा भार है या जिसे उसके मोचन का कोई अन्य अधिकार है:

Sale of property

- 25. (1) If, within fifteen days from the date of service of the notice of demand referred to in section 24, the defaulter does not pay the amount for which the distraint was effected, the distrainer may sell by auction the distrained property or such part thereof as may, in his opinion, be necessary to satisfy the demand together with the expenses of the distraint and the cost of the sale.
- (2) A deduction of account of the costs of the sale shall be made from the proceeds of such sale at such rate as may be fixed by the Registrar from time to time.
- (3) The expenses incurred on account of the distraint by the disstrainer shall be deducted from the balance.
- (4) The remainder, if any, shall be applied to the discharge of the amount for which the distraint was made.
- (5) Surplus, if any, shall be delivered to the person whose property has been sold and he shall also be given a receipt for the amount discharged from the proceeds of the sale.

CHAPTER-V SALE OF PROPERTY WITHOUT INTERVENTION OF COURT

26. (1) Notwithstanding anything contained in the Madhya Pradesh Co-operative Societies Act, 1960 (No. 17 of 1961) or the Trustee and Mortgagoes Power Act, 1880 (No. 18 of 1886) of any other law for the rings being in force; where a security has been furnished in religion of immovable property in favour of the State Development Bank or a District Development Bank, the Bank or any person authorised for the purpose shall, in case of default in the payment of sums due to the Bank, have power, in addition to any other remedy available to it to bring to sale the property to which the security relates without intervention of any court of law.

Power to sellproperty charged w 4 1 h o u 1 intervention of Court.

(2) No such power shall be exercised by a District Development Bank unless and until the State Development Bank has previously authorised such sale in exercise of the power conferred on it under sub-section (1):

Provided that the State Development Bank shall be deemed to have authorised the exercise of such power if no reply is received from it within thirty days of making a reference by the District Development Bank or any person authorised by it for the purpose:

Provided further that approval shall not be necessary in case where the loan is advanced by the District Development Bank out of their own fund.

- (3) No such power shall be exercised by the State Development Bank or a District Development Bank unless and until—
- notice requiring payment of sams due to the District Development Bank of any part thereof has been served upon—
 - (i) the loance;

and I go an its

(ii) any person who has any interest or charge upon the property to which the security relates or any other right to redeem the same;

- (तीन) जिला विकास बैंक को शोध्य राशियों के संदाय के लिए किसी प्रतिभू पर ;
- (चार) उधारग्रहीता के किसी लेनदार पर जिसने अपनी सम्पदा के प्रबंध के लिए बाद में, उस सम्पत्ति के, जिससे प्रतिभृति संबंधित हैं, विक्रय के लिए डिक्री अभिग्राप्त कर ली हैं; और
- (ख) जिला विकास बैंक को शोध्य ऐसी राशियों का संदाय करने में, खण्ड (क) में निर्दिष्ट सूचना की तामील के पश्चात्, दो मास की कालावधि तक के लिए व्यतिक्रम नहीं हुआ है:
- परन्तु खण्ड (क) के उपखण्ड (दो) और (चार) में वर्णित व्यक्तियों को ऐसी सूचना देने की बाध्यता उन्हों मामलों तक सीमित होगी जहां राज्य विकास बैंक या जिला विकास बैंक को ऐसे दावों की सूचना है.
- (४) संपत्ति के विक्रय के पश्चात् किसी अतिशेष के देव होने पर उधारग्रहीता की किन्हीं अन्य आस्तियों से इस अधिनियम में उपबंधित रीति में भी वसूल किया जा सकेगा.

विकय के लिए आवेटन और विकय की मैति २७. (१) धास २६ की उपधारा (१) में प्रदत्त की गई विक्रय करने की शक्ति को प्रयोग में लाने के लिए, यथास्थिति, राज्य विकास बैंक या जिला विकास बैंक द्वारा सम्यकरूपेण प्रोधिकृत कोई ज्यक्ति उस संपत्ति का, जिससे प्रतिभूति संबंधित है, या उसके किसी भाग का विक्रय करने के लिए धारा ३५ के अधीन उस निमित्त नियुक्त विक्रय अधिकारी को आवेदन कर सकेगा, और ऐसा अधिकारी, धारा २६ की उपधारा (३) द्वारा अपेक्षित किए गए अनुसार लिखित सूचना देने के पश्चात् ऐसी संपत्ति का विक्रय ऐसी रीति में करेगा जो विहित को जाए.

frigation of engineer

- ा (२) विक्रयः लोक मीलायः द्वारा होगा और उस ग्रामः में, जहां वह संपत्ति, जिससे प्रतिभृति संबंधित है, स्थित हैं या जिक्करवासः ऐसे सार्वकरिक स्थानः पर किया काएगाः यदि विक्रयः अधिकारी की यह राय हैंगिक संपत्ति का ऐसे स्थान पर अधिक अच्छे लाभ से विक्रय होना संभाव्य है.
- (३) विक्रय अधिकारी, विक्रय के आगमों को, यथास्थिति, राज्य विकास बैंक या जिला विकास बैंक में तत्काल निक्षित करेगा.

विकय की पुष्टि

- २८. (१) जब कोई संपत्ति इस अध्याय के अधीन विक्रय की जा चुकी हो तो उसमें अधिकार या हित रखन वाला कोई व्यक्ति, जो ऐसे विक्रय द्वारा प्रभावित हुआ है—
 - (क) यथास्थिति, राज्य विकास बैंक या जिला विकास बैंक को संदत्त की जाने के लिए, विक्रय की उद्योपणा में विनिर्दिष्ट रकम और साथ हो पश्चात्वर्ती ब्याज और संपत्ति का विक्रय करने के लिए बेंक द्वारा उपगत खर्चे और व्यय, यदि कोई हों, और
 - (ख) क्रेता को संदन किए जाने के लिए क्रय धन के पांच प्रतिशत के बराबर राशि, और उसके निक्षेप पर बचत खातों को लागू दर से ब्याज,

विक्रय अधिकारी के पास निक्षिप्त करके, उस विक्रय को अपास्त करने के लिए विक्रय को तारीख से तीस दिन के भीतर, संबंधित विक्रय अधिकारी की किसी भी समय आवेदन कर सकेगा.

- (२) यदि ऐसी निक्षेप कर दिया जाता है तो विक्रय अधिकारी को विक्रय को अपास्त करते हुए आदेश कर सकेगा.
- के साथ कोई आवेदन नहीं किया जाता है या जहां ऐसा आवेदन किया गया है और उसे अस्वोकृत कर दिया जाता है, वहां विक्रय अधिकारी रिजस्ट्रार को या उसके द्वारा इस निमित्त सशक किसी अन्य अधिकारी को जो सहायक रिजस्ट्रार की पद श्रेणों से निम्न पद श्रेणों का न हो विक्रय की पृष्टि करने वाला, आदेश करने के लिए आवेदन कर सकेगा और रिजस्ट्रार या ऐसे अधिकारी द्वारा विक्रय की पृष्टि कर दिए जाने पर वह आत्यंतिक हो जाएगा और वह सम्पत्ति विक्रय किये जाने के समय से ही केता में निहत हो गई समझी जाएगी.

- any surety for the payment of the sums due to the District Development Bank;
- (iv) any creditor of the loanee who has, in a suit for the administration of his estate,
 obtaining a decree for sale of the property to which the security relates; and
- there has been default in payment of such sums due to the District Development
 Bank for a period of two months after service of the notice referred to in clause (a):

Provided that the obligation to give such notice to the persons mentioned in sub-clauses (ii) and (iv) of clause (a) shall be confined to cases where the State Development Bank or the District Development Bank has notice of such claims.

- (4) Any halance remaining due after the sale of the property may also be recovered in the manner provided under this Act from any other assets of the loance.
- Development Bank or a District Development Bank or any person duly authorised by the State Development Bank or a District Development Bank as the case may be, may apply to the sale officer appointed in that behalf under section 35 to sell the property to which the security relates or any part thereof, and such officer shall, after giving notice in writing as required by sub-section (3) of section 26, sell such property in such manner as may be prescribed.

Application for sale and manner of sale.

- The sale shall be by public auction and shall be held in the village where the property to which the security relates is situated or at the nearest public place if the sale officer is of the opinion that the property is likely to be sold to better advantage at such place.
- (3) The Sale Officer shall forthwith deposit the proceeds of sale with the State Development Bank or the District Development Bank, as the case may be.

குக்கு இருக்கிக்க கட்டைத் கூறுக்கு

28. (1) When a property has been sold under this Chapter, any person having a right or interest therein affected by the sale may, at any time within thirty days from the date of the sale, apply to the Sale Officer concerned to have the sale set aside on depositing with the Sale Officer—

Confirmation of sale.

- (a) for payment to the State Development Bank or the District Development Bank, as the case may be, the amount specified in the proclamation of sale together with subsequent interest and the costs and expenses, if any incurred by the Bank in bringing the property to sale, and
- (b) for payment to the purchaser a sum equal to five percent of the purchase money and interest on his deposit at the rate applicable to savings accounts.
- (2) If such deposit is made, the sale officer shall make an order selting aside the sale.
- (3) Notwithstanding anything contained in any law for the time being in force, where no application with deposit 18 made under sub-section (1) or where stell applications is made and disallowed, the sale officer may apply to the Registrar or any other officer empowered by him in this behalf (not below the rank of Assistant Registrar to make an order confirming the sale and on the Registrar or such officer confirming the sale, it shall become absolute and the property shall be deemed to have vested in the purchaser from the time the property is sold.

(४) उपधारा (३) के अधीन पारित अंतिम आदेश, मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, १९६० (क्रमांक १७ सन् १९६१) की धारा ७७ और धारा ८० के उपबंधों के अनुसार अपील या पुनरीक्षण के अध्यधीन नहीं होगा.

विक्रय आगमें **का** विकरणः २९. इस अध्याय के अधीन प्रत्येक विक्रय के आगम विक्रय अधिकारी द्वारा निम्नानुसार उपयोजित किए जाएंगे:—

प्रथमत: उन समस्त खर्चों, प्रभारों और व्ययों का संदाय करने में जी विक्रय या किसी प्रपतित विक्रय के आनुवंगिक रूप में उसके द्वारा समृजित रूप से उपगत किए गए हैं;

द्वितीयत: उस उधार के मद्दे शोध्य समस्त ब्याज का संदाय करने में जिसके परिणामस्वरूप संपत्ति का विक्रय किया गया था:

तृतीयत:, उधार की मूल रकम के संदाय में;

चतुर्धतः, उधारग्रहीता के किसी ऐसे लेनदार को संदाय करने में जिसने उसकी संपदा के प्रबंध के लिए किसी वाद में उस संपत्ति के, जिससे प्रतिभूति संबंधित है, विक्रय के लिए डिक्री अभिप्राप्त कर ली है;

अन्तत: अवशेष का, यदि कोई हो, संदाय विक्रय की गई सम्पत्ति में स्वयं को हितबद्ध साबित करने वाल व्यक्ति को या, यदि ऐसे एक से अधिक व्यक्ति हीं तो उसमें उनके अपने-अपने हितों के अनुसार ऐसे व्यक्तियों को या उनकी संयुक्त स्सीद पर किया जाएगा:

परिन्तु विक्रय अधिकारी ऐसे अवशेष का वितरण, जब तक कि समस्त संबंधित व्यक्तियों की उसके विनिश्चय की संसूचना दी जाने की तारीख से तीस दिन व्यतीत न हो गए हों, नहीं करेगा.

विकय एमाण-पत्र का दिया जाना.

- ३०. (१) जहां संपत्ति का विक्रय आत्यंतिक हो गया है और विक्रय अधिकारी द्वारा विक्रय आगम पूर्णत: प्राप्त कर लिए गए हैं, वहां वह क्रेता को ऐसे प्ररुप में, जो विद्वित क्रिया जाए, एक प्रमाण-पत्र देगा, जिसमें विक्रीत संपत्ति. विक्रय कीमत, विक्रय की तारीख, उस व्यक्ति का नाम, जिसे विक्रय के समय क्रेता घोषित किया गया है, और वह तारीख जिसको विक्रय आत्यन्तिक हो गया है, विनिर्दिष्ट किए जाएंगे.
- (२) स्थावर संपत्ति के संबंध में कोई प्रमाण-पत्र पेश करने पर संबंधित उप रिजस्ट्रार स्थावर संपत्ति से संबंधित ऐसे प्रमाण- पत्र की अन्तर्वस्तु अपने रिजस्टर में प्रविष्ट करेगा.
- (३) भू-सम्पत्ति के संबंध में कोई ऐसा प्रयाण-पत्र पेश किए जाने पर, संबंधित राजस्य प्राधिकारी द्वारा भूमि-अभिलेख की प्रविद्धियां सम्यक् रूप से नामा-तरित की आएंगी.

मंपति का कब्जा.

३१. यदि विक्रीत संपत्ति उधारग्रहीता के या उसकी ओर से किसी व्यक्ति के अधिभोग में हैं अथवा किसी एसं व्यक्ति के अधिभोग में हैं जो उधारग्रहीता द्वारा राज्य विकास बैंक या जिला विकास बैंक के पक्ष में प्रतिभूति देने के पश्चांतवर्ती सृजित हक के अधीन दावा करता है और उसके संबंध में धारा ३० के अधीन प्रमाण-पत्र दे दिया गया है तो कलक्टर, केता के आवेदन पर उसकी या इस निमित्त प्राधिकृत किए गए किसी व्यक्ति को संपत्ति का कब्जा देगा.

विकय में संपत्ति क्रियं करने को राज्य विकास बैंक या जिला विकास बैंक का अधिकार ३२ राज्य विकास बैंक या कोई जिला विकास बैंक इस अध्याय के अधीन निक्रय की गई किसी भी संपत्ति को क्रय करने के लिए सक्षम होगा :

परन्तु इस प्रकार क्रय की गई संपत्ति का व्ययन ऐसे बैंक द्वारा ऐसी कालावधि के भीतर, जो न्यासी द्वारा नियन की जाए, विक्रय द्वारा किया जाएगी. (4) the final order passed under sub-section (3) shall not be subject to appeal or revision in accordance with the provisions of section 77 and section 80 of the Madhya Pradesh Co-operative Societies Act. 1960 (No. 17 of 1961).

29. The proceeds of every sale under this Chapter shall be applied by the Sale Officer—

Distribution of Sale proceeds.

Firstly, in payment of all costs, charges and expenses properly incurred by him as incidental to the sale or any attempted sale;

Secondly, in payment of all interest due on account of the loan interest energy was sold:

Thirdly, in payment of the principal amount of the Ioan;

Fourthly, in payment to any creditor of the loanee who has, in a suit for the administration of his estate, obtained a decree for Sale of the property to which the security relates; and

Lastly, the residue, if any, shall be paid to the person proving himself interested in the property sold or, if there are more such persons than one, then to such persons, according to their respective interest therein or upon their joint receipt:

Provided that the sale officer shall not distribute such residue until thirty days have elapsed from the date of communication of his decision to all the persons concerned.

30. (1) Where a sale of property has become absolute and the sale proceeds have been received in full by the sale officer, he shall grant a certificate to the purchaser in such form as may be prescribed specifying the property sold, the sale price, the date of the sale, the name of the person who at the time of the sale is declared to be the purchaser, and the date on which the sale became absolute.

Grant of Sal Certificate.

- (2) Upon production of such a certificate in respect of immovable property the Sub-Registrar concerned shall enter the contents of such certificate in his register relating to immovable property.
- (3) Upon production of such a certificate in respect of landed property, the land record entries shall be duly mutated by the revenue authority concerned.
- 31. If the property sold is in occupation of the loanee or of some person on his behalf or of some person claiming under a title created by the loanee subsequent to the offering security in favour of the State Development Bank on a District Development Bank and the certificate in respect thereif has been granted under section 30; the Collector shall, on the application of the purchaser, put him or any person authorised in this behalf, in possession of the property.

Property.

32. It shall be competent for the State Development Bank or a District Development Bank to purchase any property sold under this Chapter:

Provided that the property so purchased shall be disposed of by such bank by sale within such period as my be fixed by the Trustee.

Right of State
Development
Bank or District
Development
Bank to purchase
property at sale.

रिमोबर की नियुक्ति और उसकी शक्तियाँ,

- ३३. (१) धारा ७ की उपधारा (४) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी राज्य विकास बैंक स्थप्रेरणा से या अपनी किसी शाखा के आवदन पर, या कोई जिला विकास बैंक प्रतिभृति के रूप में दी गई संपत्ति या उसके किसी भाग की उपज और उसको आय के लिए एक रिसीवर की नियुक्ति लिखित में कर सकेगा और ऐसा रिसीवर, यथास्थिति, या तो संपत्ति का कब्जा लेने या उसकी उपज और आय का संग्रहण करने, और उसके द्वारा वसूल किए गए किसी धन में से प्रबंध संबंधी अपने व्यय, जिनके अन्तर्गत उसका गरिश्रमिक, यदि कोई हो, जो राज्य विकास बैंक या जिल्हा विकास बैंक द्वारा नियत किया जाए, भी है प्रतिधारित करने और अतिशेष को संपत्ति अंतरण अधिनियम, १८८२ (१८८२ का सं. ४) की धारा ६९-क की उपधारा (८) के उपबंधों के अनुसार उपयोजित करने का हकदार होगा.
- (२) राज्य विकास बेंक या जिला विकास बेंक स्वप्रेरणा से या उधारग्रहीता द्वारा किए गए आवेदन पर और पर्याप्त
 कारण से उपध्या (१) के अधीन नियुक्त किसी रिसीवर को हटा सकेगा.
 - (३) रिसीवर के पद में हुई रिक्ति को राज्य विकास बैंक या किसी जिला विकास बैंक द्वारा भरा जा सकेगा,
- (४) इस धारा में की कोई भी बात राज्य विकास बैंक या किसी जिला विकास बैंक को रिसीवर नियुक्त करने के लिए उस दशा में सशक्त नहीं करेगी जबकि संपत्ति का कब्जा पूर्व से ही किसी सिविल न्यायालय द्वारा नियुक्त किसी रिसीवर के पास है:
- परन्तु राज्य विकास वैंक अपने प्रबंध निदेशक की मार्फत, या जिला विकास बैंक अपने प्रधान प्रबंधक की मार्फत सिविल न्यायालय को यह अर्जी दे सकेगा कि वह उस न्यायालय द्वारा नियुक्त रिसीवर को यह निदेश दे कि वह उसके द्वारा वसूल की गई रकम के सम्पूर्ण अधिशेष या उसके किसी भाग को, यथास्थिति, राज्य विकास बैंक या जिला विकास बैंक को शोष्य रकम को चुंकाने में उपयोजित करे.

केता का हक अधि-क्षेपनीय नहीं होगा. ३४. जब कोई विक्रय इस अध्याय के अधीन किया गया है और उसकी पुष्टि की जा चुंकी है, तब क्रेता का हक इस आधार पर अधिक्षपनीय नहीं होगा कि विक्रय को प्राधिकृत करने का कोई कारण उद्भूत नहीं हुआ था या यह कि सम्यक् सूचना नहीं दो गई थी या यह कि शक्ति का अन्यथा अनुचित या अनियमित रूप से प्रयोग किया गया था; किन्तु किसी ऐसे व्यक्ति की, जिसे ऐसी शक्ति के अप्राधिकृत या अनुचित या अनियमित प्रयोग द्वारा क्षति पहुंची है, उसे, यथास्थित, राज्य विकास बैंक या जिला विकास बैंक के विरुद्ध नुकसानी वसूल करने का उपचार होगा.

विकास अधिकारी को निय्क्ति ३५. रजिस्ट्रार, इस अधिनियम के अधीन विक्रयों के संचालन के प्रयोजन के लिए विक्रय अधिकारी की नियुक्ति कर सकेगा.

अध्याय ६—प्रकीर्ण

अपर्याम प्रतिभृति या उधार के दुरुपयोग की देशर में राज्य विकास में के या जिला विकास मैंक की शांकार्यों ३६. (१) जहां कोई ऐसी संपत्ति, जो राज्य विकास बैंक या किसी जिला विकास बैंक के पास प्रतिभृति के रूप में प्रस्तावित को गई हैं, अपर्याप्त हो जाती हैं, वहां यह माना जाएगा कि संपूर्ण उधार तत्काल शोध्य हो गया है और गथास्थिति, राज्य विकास बैंक या जिला विकास बैंक उसकी वसूली के लिए धारा २३ या धारा २६ के अधीन कार्रवाई करने के लिए हकदार होगा:

परन्दू तब तक कोई भी कार्रवाई नहीं की जाएगी जब तक कि उधारप्रहोता की ऐसी और प्रतिभूति देने का, जो इस कमी को पूरा करने के लिए पर्यात है या उधार के ऐसे भाग का जो राज्य विकास बैंक या जिला विकास बैंक द्वारा अवधारित किया जाए प्रतिसंदाय करने का युक्तियुक्त अवसर नहीं दिया जा चुका हो और उधारप्रहोता ने ऐसे अवसर का लाभ नहीं उठाया है.

स्पष्टीकरण:—इस धारा के अर्थ के अन्तर्गत कोई प्रतिभूति तब अपयांत हो जाएगी जब उस संपत्ति का मूल्य, राज्य विकास बैंक या जिला विकास बैंक को तत्समय शोध्य रकम से ऐसे अनुपात में कम हो जाता है जो, यथास्थिति, राज्य विकास बैंक के विनियमों या जिला विकास बैंक को उपविधियों में विनिर्दिष्ट किया गया है.

Appointment and power of receiver.

- 33. (1) Notwithstanding anything contained in sub-section (4) of section 7, the State Development Bank on its own motion or on the application of any of its branches, or a District Development Bank may appoint in writing a receiver of the produce and income from the property offered as security or any part there-of and such receiver shall be entitled either to take possession of this property or collect its produce and income, as the case may be, and to retain out of any money realised by him, his expenses of management including his remuneration, if any as may be fixed by the State Development Bank or a District Development Bank and to apply the balance in accordance with the provisions of sub section (8) of section 69-A of the Transfer of property Act, 1882 (IV of 1882).
- (2) the State Development Bank or a District Development Bank may, on its own motion or on an application made by the loanee and on sufficient cause remove a receiver appointed under subsection (1).
- (3) A vacancy in the office of the receiver may be filled up by the State Development Bank or a District Development Bank.
- (4) Nothing in this section shall empower the State Development Bank or a District Development Bank to appoint a receiver where the property is already in the possession of a receiver appointed by a Civil Court:

Provided that the State Development Bank through its Managing Director or a District

Development Bank through its General Manager may file a petition in Civil Court
to direct the receiver appointed by it to apply any part or whole of the balance of
the amount realised by him to the discharge of the amount due to the State
Development Bank or a District Development Bank, as the case may be.

34. When a sale has been made and confirmed under this Chapter, the title of the purchaser shall not be impeachable on the ground that no cause had arisen to authorise the sale or that due notice was not given or that the power was other-wise improperly or irregularly exercised; but any person damnified by an unauthorised or improper or irregular exercise of the power shall have his remedy in damages against the State Development Bank or the District Development Bank, as the case may be.

Title of purchaser not to be impeachable.

35. The Registrar may appoint Sale Officer for the purpose of conducting sales under this Act...

Appointment of sale Officer

CHAPTER-VI MISCELLANEOUS.

36. (1) Where any property offered as security to the State Development Bank or a District Development Bank is rendered insufficient the whole of the loan shall be deemed to have fallen due atonce and the State Development Bank or the District Development Bank, as the case may be, shall be entitled to take action under section 23 or section 26 for its recovery:

Powers of State
Development
Bank or District
Development
Bank in case of
insufficient
security or
misufficient
lean.

Provided that no action shall be taken unless the loance has been given reasonable opportunity of furnishing further ecourity sufficient to cover the gap or of repaying such postion of the loan as may be determined by the State Development Bank or a District Development Bank and the loance has failed to avail of such opportunity.

Explanation: A security shall become insufficient within the meaning of this section if the value of the property falls below the amount for the time being due to the State Development Bank or the District Development Bank by such proportion as my be specified in the regulations of the State Development Bank or the bye-laws of the District Development Bank, as the case may by.

(२) उधार का दुरूपबोग किए जाने की दशा में यह माना जाएमा कि उधार की सम्पूर्ण रकम तत्काल शोध्य हो। गई है और, यथास्थिति, राज्य विकास बैंक या जिला विकास बैंक उसकी वसूली के लिए धारा २३ या धारा २६ के अधीन कार्रवाई करने के लिए हकदार होगा.

उपज के करस्वाम और विकय और मृंपति के विकय का निदेश देने की राज्य विकास बैंक और ज्यासी की शक्ति.

- ३७. (१) न्यासी, राज्य विकास बैंक को व्यक्तिक्रमी के विरुद्ध धारा २३ या धारा २६ या धारा ३६ के अधीन कार्रवाई करने का निदेश दे सकेगा और यदि राज्य विकास बैंक ऐसा करने में उपेक्षा करता है या ऐसा करने में असफल रहता है तो न्यासी ऐसी कार्रवाई कर, सकेगा.
- (२) राज्य विकास बैंक या न्यासी, जिला विकास बैंक को व्यक्तिक्रमी के विरुद्ध धारा २३ या धारा २६ या धारा ३६ के अभीन कार्रवाई करने का निदेश दे सकेगा और यदि जिला विकास बैंक ऐसा करने में उपेक्षा करता है या ऐसा बहुत में असफल एकता है तो राज्य विकास बैंक या ज्याकी ऐसी कार्रवाई का सकेगा.
- (३) जहां राज्य विकास बैंक द्वारा उपधारा (२) के अधीन कार्रवाई की जाती है, वहां इस अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए किन्हीं नियमों या विनियमों के उपबंध उसके संबंध में इस प्रकार लागू होंगे मानों उक्त उपबंधों में जिला विकास बैंक के प्रति किए गए समस्त निर्देश राज्य विकास बैंक के प्रति निर्देश हैं.
- (४) जहां न्यासी द्वारा उपधारा (१) या (२) के अधीन कार्रवाई की जाती है, वहां अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए किन्हीं नियमों या विनियमों के उपबंध उसके संबंध में इस प्रकार लागू होंगे मानों उक्त उपबंधों में, यथास्थित, राज्य विकास बैंक या जिला विकास बैंक के प्रति किए गए समस्त निर्देश न्यासों के प्रति निर्देश हों.

प्रांतभृति में किए गए म्धारों पर बैंक का अधिकार ३८. तत्समय प्रवृत्त किसी विधि में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, राज्य विकास बैंक या जिला विकास बैंक हासे उधार दिए जाने की तासेख के पश्चात् उस संपत्ति के जिसकी प्रतिभृति दी गई है, यथस्थिति स्वामी या पट्टेदार. द्वारा किए गए सुधार की, यद कोई है, उस संपत्ति में अभिवृद्धि माना बीएगा और वह दिए गए उधार की वसूली के लिए ऐसे बैंक को उपलब्ध होगी.

कतिषयं मामलों में कृषि उपज के विकाय आगम में से कर्दीती Sussephics

- ३९. (१) तत्समय प्रवृत्त किसी विधि में अन्तविंग्ट किसी बात के होते हुए भी, किसी जिला विकास बैंक से उधार का आवेदक उस बैंक के पक्ष में यह उपबंध करने वाला करार निष्मादित कर सकेगा कि सहकारी विपणन सोसाइटियों या विधि के अधीन गठित किन्हीं अन्य संस्थाओं के लिए, जिनके माध्यम से आवेदक की कृषि उपज का विपणन किया जाता है, का विधिपूर्ण है कि से ऐसी सहकारी सोसाइटियों या संस्थाओं के साध्यम से विपणन की गई ऐसी कृषि उपज के विक्रय आगम में से उस रकम की, जो करार में विनिर्देश्य हैं, कटौती कर लें और इस प्रकार काटी गई रकमों का संदाय ऐसे जिला विकास बैंक को आवेदक से ऐसे बैंक को शोध्य किसी ऋण या अन्य मांग की तुन्टि करने के लिए कर दें.
 - (२) (क) उपधारा (१) में यथा उपबंधित करार के निष्पादित किये जाने पर, उस उपधारा में निर्दिष्ट विपणन सहकारी सोसाइटो वा कोई अन्य संस्थाएं, जिला विकास बैंक द्वारा लिखित अध्यपेक्षा किए जाने पर और जब तक ऐसा ऋण या मांग या उसका कोई भाग असंदत्त रहता है, आवेदक की कृषि उपज के, जिसका विपणन उनके माध्यम से किया गया है, विक्रय आगम में से कटौती अध्यपेक्षा के अनुसार करेगी और इस प्रकार काटी गई रकम का संदाय कटौती करने की तारीख से ऐसी कालावधि के भीतर, जैसा कि विहित किया जाए, जिला विकास बैंक को करेगी.
 - (ख) यदि उपधारा (१) में निर्दिष्ट विपणन सहकारी सोसाइटियां या कोई अन्य संस्थाएं पूर्वोक्त समय के भीतर जैंक को संदाय करने में असफल रहती हैं तो उपधारा (१) में निर्दिष्ट विपणन सहकारी सोसाइटी या कोई अन्य संस्थाएं इस प्रकार वसूल की गई रकम पर ब्याज का उसी दर से संदाय करने का दायों होगी जो दर ब्यातक्रम होने की दत्ता में उधार लेने करने से वसूल योग्य होती है.
 - (ग) यथास्थित राज्य विकास बैंक या जिला विकास बैंक द्वारा पूर्वोलिखित काटी गई रकम प्राप्त कर ली आने के पश्चात उदार लेने वालें का दिवाल ऐसी सीमा तक उन्मोचित हो जाएगा.
- (३) किसी विपणन सहकारी सोसाइटी या किन्हीं अन्य संस्थाओं द्वारा उपधारा (२) के अधीन किया गया कोई संदाय, ऐसी सोसाइटी या संस्था पर किसी मांग के संबंध में विधिमान्य और प्रभावी होगा.

- (2) In case of misutilisation of loan, the whole of the loan amount shall be deemed to have fallen due atonce and the State Development Bank of a District Development Bank, as the case may be, shall be entitled to take action under section 23 or section 26 for its recovery.
- 37. (1) The Trustee may direct the State Development Bank to take action against a defaulter under section 23 or section 26 or section 36 and if the State Development Bank neglects or fails to do so the trustee may take such action.
- (2) The State Development Bank or the trustee may direct the District Development Bank to take action against a defaulter under section 23 or section 26 or section 36 and if the District Development Bank neglects or fails to do southe State Development Bank or the trustee may take such action.
- (3) Where action is taken by the State Development Bank under sub-section (2), then the provisions of this Act and of any rules or regulations made thereunder shall apply in respect thereto as if all references to the District Development Bank in the said provisions were references to the State Development Bank.
- (4) Where action is taken by the trustee under sub-section (1) or (2) then the provisions of this Act and of any rules or regulations made thereunder shall apply in respect thereto as if all references to the State Development Bank or the District Development Bank as the case may be, in the said provisions were references to the trustee.
- 38. Notwithstanding anything contained in any law for the time being in force, the improvement, if any made by the owner or lessee as the case may be of the property furnished as security subsequent to the date of the advancement of loan by the State Development Bank or a District Development Bank, shall be treated as accession to the property and shall be available to such Bank for realisation of the loan advanced.

Bank's right to improvements effected to the security.

Powers of State

Development Bank and trustee

produce and sale

39. (1) Notwithstanding anything contained in any law for the time being in force an applicant for a loan from a District Development Bank may execute an agreement in favour of that Bank providing that it shall be lawful for the marketing co-operative societies or any other institutions constituted under law through which the agricultural produce belonging to the applicant is marketed, to deduct such amont as may be specified in the agreement from the sale proceeds of such agricultural produce marketed through such co-operative societies or institutions and to pay the amount so deducted to such District Development Bank in satisfaction of any debt or other demand due from the applicant to that Bank.

Deduction from sale proceeds of a gricustry at produce in certain cases.

- (2) (a) On execution of an agreement as provided in sub-section (1), the marketing co-operative society or any other institutions referred to in that sub-section shall, on a requisition, in writing by the District Development Bank and so long as such debt or demand or any part of it remains unpaid, make a deduction, in accordance with the requisition, from the sale proceeds of the agricultural produce belonging to the applicant and marketed through them and pay the amount so deducted to the District Development Bank within such period as may be prescribed from the date of deduction.
- th) If the marketing Co-operative Society or any other institutions referred to in sub-section (1) fails to make the payment to the Bank within aforesaid time, the marketing co-operative societies or any other institutions referred in sub-section (1) shall be liable to pay interest on the amount so recovered at the same rate which is recoverable from the borrower, in case of default.
- (c) After receipt of the aforementioned deducted amount by the State Development Bank or District Development Bank, as the case may be, the obligation of the borrower shall be discharged upto such extent.
- (3) Any payment made by a marketing co-operative society or any other institutions under subsection (2) shall be valid and effective against any demand upon such society or institution.

- (४) उपधारा (१) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी विक्रय आगम पर की गई कटौती की रकम रिजस्ट्रर द्वारा, साधारण या विशेष आदेश द्वारा, इस निमित्त घोषित प्रतिशत से अधिक नहीं होगी.
- (५) जहां उधार लेने वाले द्वारा एक से अधिक बैंकों से उधार लिए गए हैं, वहां कटौती की रकम का वितरण रजिस्ट्रार द्वारा, समय-समय पर, नियत दर से विधिन्न बैंकों के बीच प्रभाजित किया जाएगा.

प्रतिभृति दिवाला कार्यवाहियों में प्रश्नमते नहीं की जाएकी ४०. प्रांतीय दिवाला अधिनियम, १९२० (१९२० का सं. ५) में अन्तविष्ट किसी बात के होते हुए भी, राज्य विकास बैंक या किसी जिला विकास बैंक के पक्ष में सृजित की गई प्रतिभृति को इस आधार पर कि वह मूल्यवान प्रतिफल के लिए सद्भाव पूर्वक नहीं दी गई थी या इस आधार पर कि वह उधारप्रहीता के, अन्य लेनदारों के मुकाबले में ऐसे बैंक को अधिमान देने के लिए दी गई थी, प्रश्नगत नहीं किया जाएगा.

प्रतिभृति के रूप में प्रस्थापित सम्पत्ति के विस्त्तीगमं या अन्तरमा करने की शक्ति पर निर्मन्यन

- ४१. (१) संपत्ति अंतरण अधिनियम, १८८२ (१८८२ का सं. ४) या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य अधिनियमिति में अन्तिविंग्ट किसी बात के होते हुए भी, कोई ऐसी संपत्ति जो प्रतिभूति के रूप में प्रस्थापित की गई है, इस प्रकार प्रस्थापित किए बाने के पश्चात् अन्यथा विल्लंगमित या अंतरित नहीं की जाएगी.
- ें (२) मध्यप्रदेश भू-राजस्य संहिता, १९५९ (क्रमांक २० सन् १९५९) के उपबंध इस अधिनयम के अधीन प्रतिभृति के रूप में प्रस्थापित संपत्ति को लागू होंगे.
- ्राप्तः (३) तरसमय प्रवृत्त किसी विधि में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, तस्य विकास बैंक या जिला विकास बैंक के पक्ष में प्रत्याभूति के रूप में प्रस्तुत की गई प्रतिभृति किसी न्यायालय की डिक्री के निष्वादन में कुर्क नहीं की जिएगी.

माक्षियों की संयन करने और इस्तापेची की अपनेप्रेस, कड़ते की हर्मकत.

- 3715

- ४२. (१) ऐसे निर्वन्थनों, परिसीमाओं और सतों के अध्यधीन रहते हुए, वो कि विहित की बाए, रिजस्ट्रार तथा उसके अधीनस्थ अधिकारियों को तथा राज्य विकास बैंक और जिला विकास बैंक के ऐसे अन्य अधिकारियों को, जो उसके हुए लिखित में साधारण या विशेष आदेश हुरा, इस निमित्त प्राधिकृत किए गए हैं, निम्नलिखित बातों के संबंध में बेही शक्तियां होंगी जो सिविल प्रक्रिया संहिता, १९०८ (१९०८ का सं. ५) के अधीन वाद का विचारण करते समय किसी सिविल न्यायालय में निहित होतो हैं, अधीन :—
 - (क) किसी व्यक्ति को हाजिर कराना और शपथ या प्रतिज्ञान पर उसका परीक्षण करना;
 - (ख) दस्तावेजों को पेत्र करने के लिए बाध्य करना; और
 - (म) साक्षियों की परीक्षा के लिए कमीसन जारी करना.
- (२) उपधारा (१) द्वारा या उसके अधीन प्राधिकृत अधिकारियों में से कोई भी अधिकारी किसी व्यक्ति से यह अपेक्षा कर सकेगा कि वह उसके समक्ष उपस्थित होकर वहीं के वहीं कोई ऐसी जानकारी दें या ऐसा कोई दस्तावेज ऐस करें जो उसके कब्जे में या शक्तवाधीन हैं.
- (३) किसी अधिकारी को, जिसके समक्ष उपधार (१) या उपधार (२) के अधीन जारी किए गए किसी आदेश के अनुपालन में कोई दस्तावेज पेश की जातो है, उन दस्तावेजों की या उनमें की किन्हों प्रविष्टियों की ऐसी प्रतिलिपियां, जिन्हें ऐसा अधिकारी आवश्यक समझे, लेने की या उनका लिया जाना प्राधिकृत करने की शक्ति होगी और इस प्रकार ली गई प्रतिलिपियां, जबकि वे ऐसी रीति में, जो विहित की जाए प्रमाणित कर दी गई हैं, किसी प्रयोजन के लिए उसी रिति में और उसी सीमा तक साक्ष्य में ग्राह्य होंगी जैसे यधास्त्रित, मूल दस्तावेज या उसमें की प्रविष्टियां ग्राह्य होती हैं.
- (४) कोई व्यक्ति, जो उपधारा (१) या उपधारा (२) के अधीन जारी किए गए किसी समन, अध्यपेक्षा या आदेश की जानबूझकर या युक्तियुक्त प्रति हेतु के बिना अवज्ञा करेगा, वह सम्बद्ध अधिकारी द्वारा ऐसे जुर्माने से, जो ऐसी प्रत्येक चूक के लिए पांच सौ रुपये तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा :

- (4) Notwithstanding anything contained in sub-section (1) the amount of deduction from the sale proceed shall not be more than the percentage declared by the Registrar by General or special order in this behalf.
- (5) Where loans have been taken by the borrower from more than one Bank the distribution of the deducted amount shall be apportioned amongst different Banks at such rate as may be fixed by the Registrar from time to time.
- 40. Notwithstanding anything contained in the provincial Insolvency Act, 1920 (5 of 1920), any security furnished to the State Development Bank or a District Development Bank shall not be called in question on the ground that it was not furnished in good faith for valuable consideration or on the ground that it was furnished in order to give such Bank a preference over the other creditors of the lumes.

Security not to be questioned in the proceedings.

41. (1) Notwithstanding anything contained in the Transfer of Property Act, 1882 (IV of 1882), or any other enactment for the time being in force no property offered as Security shall be encumbered otherwise or transferred thereafter.

(公司) 新石油工。

Restriction on power to Encumber or transfer the property offered as security.

- (2) Provisions of Madhya Pradesh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959) shall apply to a property offered as security under this Act.
- submitted as guarantee in favour of State Development Bank or District Development Bank shall not be attached in execution of decree of any court.
- 42. (1) Subject to such restrictions, limitations and Conditions as may be prescribed, the Registrar and such of his subordinate officers and other officers of the State Development Bank and District Development Banks as are authorised by him in this behalf by a general or special order in writing, shall have the same powers as are vested in a civil court under the Code of Civil Procedure, 1908 (V of 1908), when trying a suit, and exercise them in respect of the following matters; namely—

Paner to sum mon withteres and requisition documents

- (a) enforcing attendance of any person and examining him on oath or affirmation;
- (b) compelling production of documents; and
- (c) issuing commission for examination of witnesses.
- (2) Any of the officers authorised by or under sub-section (1) may require any person to be present before him to furnish any information or to produce any document then and there in his possession or power.
- (3) Any officer before whom any document is produced in compliance of an order issued under sub-section (1) of sub-section (2) shall have the power to take, or to sutherise the taking or, such copies of the documents or of any entries therein as such officer may consider necessary and the copies so taken shall, when certified in such manner as may be prescribed, be admissible in evidence for any purpose in the same manner and to the same extent as the original document or the entries therein, as the case may be, is admitted.
- (4) Any person who wilfully or without reasonable excuse disobeys any summons, requisition or order issued under sub-section (1) or sub-section (2) shall be punishable by the officer concerned with fine which may extend to five hundred rupees for each such default:

परन्तु संबंधित पक्षकार को सुनवाई का अवसर दिए बिना कोई जुर्माना अधिरोपित नहीं किया जाएगा.

रान्य विकास वैंक या जिला विकास वैंक द्वारा दस्सवेज का रजिस्ट्रीकरण.

 $\mathbf{u}_{f}(\cdot) \mapsto \mathcal{U}^{(i)}(f_{f,f}(\cdot)) = \mathbf{u}_{f,f}(\cdot)$

- ४३. (१) रिजस्ट्रीकरण अधिनियम, १९०८ (१९०८ का सं. १६) या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, राज्य विकास बैंक या किसी जिला विकास बैंक के पक्ष में दी गई प्रतिभृति को रिजस्ट्रीकृत कराना आवश्यक नहीं होगा, परन्तु यह तब जबिक राज्य विकास बैंक या संबंधित जिला विकास बैंक ऐसे समय के भीतर और ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, उस लिखत की, जिसके द्वारा उधार के प्रतिसंदाय को सुनिश्चित करने भीतर और ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, उस लिखत की, जिसके द्वारा उधार के प्रतिसंदाय को सुनिश्चित करने के प्रयोजन के लिए स्थावर संपत्ति बंधिकत की यह है, एक प्रति उस रिजस्ट्रीकर्ता अधिकारि को भेज देता है जिसकी के प्रयोजन के लिए स्थानिय सीमाओं के भीतर संपूर्ण बंधिकत संपत्ति या उसका कोई भाग स्थित है, और ऐसा रिजस्ट्रीकर्ता अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर संपूर्ण बंधिकत संपत्ति या उसका कोई भाग स्थित है, और ऐसा रिजस्ट्रीकर्ता अधिकारी, रिजस्ट्रीकर्ता अधिकर्ता अधिकारी, रिजस्ट्रीकर्ता अधिकारी, रिजस्ट्रीकर्ता अधिकारी, रिजस्ट्रीकर्ता
 - (२) निष्पादित किए गए प्रत्येक बंधक विलेख की भी एक प्रति, उसकी प्राप्ति के तीस दिन के भीतर, यथास्थिति, राज्य विकास बैंक या जिला विकास बैंक द्वारा उस तहसीलदार या राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट किसी अन्य सामारी, जिसकी अधिकारिता के भीतर वह भूमि या संगति स्थित है, को उपधारा (३) के अधीन भू-अधिलेखों में आवश्यक प्रविध्या करने के प्रयोजनार्थ अग्रेषित को जाएँगी.
 - (३) मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, १९५९ (क्रमांक २० सन् १९५९) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, उन्तर संहिता के अधीन बनाए रखे गए भू-अभिलेख या किसी अन्य विधि के अधीन बनाए रखे गए अभिलेख में भूमि या संपत्ति पर के प्रत्येक भार की या निव्यदित बंधक विलेख या दस्तावेज के अधीन सृजित प्रत्येक हित की विशिष्टियां या संपत्ति पर के प्रत्येक भार की या निव्यदित बंधक विलेख या दस्तावेज के अधीन सृजित प्रत्येक हित की विशिष्टियां या संपत्ति होंगी और इस प्रकार की गई प्रत्येक प्रविधिः वन एक प्रति उसके किए बाने की शारीख से तीस दिन के भीतर संबंधित बेंक को भेबी जाएंगी.

श्रम प्राप्त करने और विश्विमान्य श्रेमीचन करने की ज़िला विकास बैंक की ४४. जिला विकास बैंक के पक्ष में दी गई प्रतिभृति राज्य विकास बैंक को अन्तरित कर दी गई है या धारा २० के अधीन अन्तरित कर दो गई समझी जाती है तो भी,—

- प्रतिभृति के अधीन सोध्य समस्त धन, राज्य विकास बैंक या न्यासी द्वारा कोई तत्प्रतिकूल, विनिर्दिष्ट निर्देश जारी न किए जाने और उधारग्रहीता को संस्थित न किए जाने की दशा में जिला विकास बैंक को संदेय होंगे और ऐसा संदाय उतना ही विधिमान्य होगा मानो कि प्रतिभृति इस प्रकार अंतरित ही नहीं की गई थी; और
 - (ख) राज्य विकास बँक या न्यासी द्वारा कोई तत्प्रतिकृत विनिर्देश निर्देश जारी न किए जाने पर जिला विकास बैंक इस बात का हकदार होगा कि वह दो गई प्रतिभृति पर शोध्य धन की वस्ती के लिए वाद चलाए या कोई अन्य कार्रवाई करे.

दस्तावेजों का या दस्तावेजों की प्रविध्यों का समूद ४५, राज्य विकास बैंक या कोई भी जिला विकास बैंक, अपने कारबार के अनुक्रम में अपने द्वारा प्राप्त और रखी गई किसी दस्तावेज की या ऐसी दस्तावेजों में की किन्हीं प्रविधियों की प्रतिलिपियां प्रदान कर सकेगा, और इस प्रकार प्रदान की गई कोई प्रतिलिपि, जबकि वह ऐसी रीति में, जो विहित की जाए प्रमाणित कर दी गई है, किसी प्रयोजन प्रदान की गई कोई प्रतिलिपि, जबकि वह ऐसी रीति में, जो विहित की जाए प्रमाणित कर दी गई है, किसी प्रयोजन प्रदान की गई कोई प्रतिलिपि, जबकि वह ऐसी रीति में ग्राह्य होगी जैसी, यद्यास्थिति, मूल दस्तावेज या उसमें की प्रविधियां प्राह्य होगी हैं.

राज्य विकास बैंक से उधार नहीं रहे नहीं निधियों में से जिल्ला विकास बैंकों द्वारा दिए नयु उधारी को अध्याप ३, ४ और ५ का सानू होना. ४६. अध्याय ३, ४, ५ के उपबंध जिला विकास बैंक द्वारा उन निष्धियों में से, जो उसके द्वारा राज्य विकास बैंक से उचार नहीं ली गई के दिए गर उचारों को भी लागू होंगे.

सृचनाओं की तामील ४७. जब कभी इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन किसी व्यक्ति को कोई लिखित सूचना दी जाना अपेक्षित है, तब ऐसी सूचना रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा मेजना पर्याप्त होगा. Provided that no such fine shall be imposed without giving the party concerned an opportunity of being heard.

43. (1) Notwithstanding anything contained in the Indian Registration Act, 1908 (XVI of 1908) or any other law for the time being in force, it shall not be necessary to register the security furnished in favour of the State Development Bank or a District Development Bank, provided that the State Development Bank or a District Development Bank, concerned sends within such time and in such manner as may be prescribed, a copy of the instrument whereby immovable property is mortgaged for the purpose of securing repayment of the loan to the Registering Officer within the local limits of whose jurisdiction the whole or any part of the property mortgaged is situated and such Registering Officer shall file the copy in his Book No. I as prescribed under section 51 of the Indian Registration Act. 1908 (XVI of 1908).

Registration of document hy Solate te Development Bank or District Development Bank.

- (2) One copy of every mortgage deed executed shall also within thirty days of its receipt be lorwarded by the State Development Bank or a District Development Bank, as the case may be, to the Tehsildar or any other afficer as may be specified by the State Government in this behalf within whose jurisdiction the land or property is situated for the purpose of making necessary entries in the land records under sub-section (3).
- (3) Notwithstanding anything contained in the Madhya Pradesh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959), the Land record maintained under the said Code or record maintained under any other law, shall also include the particulars of every charge on the land or property or interest created under the mortgage deed or document executed and a copy of each entry so made shall, within thirty days of the date on which it is made be sent to the Bank concerned.
- 14. Notwithstanding that a security furnished in favour of a District Development Bank has been transferred or is deemed to have been transferred under section 20 to the State Development Bank:—

Power of District Development Bank to reteive money and grant valid discharges.

- (a) all moneys due under the security shall, in the absence of any specific direction to the contrary issued by the State Development Bank or the Trustee and communicated to the loanee shall be payable to the District Development Bank and such payment shall be valid as if the security furnished had not been so transferred; and
- (b) the District Development Bank shall, in the absence of any specific direction to the contrary issued by the State Development Bank or the Trustee, be entitled to sue or take any other proceedings for the recoveries of moneys due on the security furnished.
- 45. The State Development Bank or any District Development Bank may grant copies of any document obtained and kept by it in the course of its business or any entries in such documents and any copy so granted shall, when certified in such manner as may be prescribed, be admissible in evidence for any purpose in the same manner and to the same extent as the original document or the entries therein as the case may be, is admitted.

Proof of documents or entries in documents.

46. The provisions of Chapters III, IV and V shall apply also to loans advanced by a District Development Bank from funds which have not been betrowed by it from the State Development Bank.

Application of Chapters III. IV aid V to loans advanced by D-15 t r 1 c 4 Development Benks from State Development Benk.

47. Wherever under the provisions of this Act, a notice is required to be given to any person in Writing, it shall be sufficient to send such notice by registered post.

S. 1872 - 1

Services notices. संपितृ अंतरण अधिनियम, १८८२ के उपवंधों का मूचनाओं को लागू होना.

४८. संपत्ति अन्तरण अधिनियम, १८८२ (१८८२ का सं. ४) की धारा १०२ और १०३ के तथा उक्त धाराओं के प्रयोक्षनों का कार्यान्वित करने के लिए उसकी धारा १०४ के अधीन बनाए गए किन्हीं नियमों के उपबंध, जहां तक हो सके, इस अधिनियम के अधीन तामील की जाने वाली समस्त सूचनाओं के संबंध में लागू होंगे.

वंकों के अधिकारी और विकास अधिकारी विकास में बोली नहीं सगावेंगे. ४९. राज्य विकास बैंक या किसी जिला विकास बैंक को शोध्य कोई धन वसूल करने के लिए, इस अधिनयम के अधीन किए गए किसी जंगम या स्थावर संपत्ति के किसी विक्रय में ऐसे बैंक का कोई अधिकारी या कर्मचारी (सिवाय उस बैंक को ओर से, जिसका कि वह अधिकारी या कर्मचारी है) और कोई भी विक्रय अधिकारी या अन्य व्यक्ति, जिसे ऐसे विक्रय के संबंध में किसी कर्तव्य का पालन करना है, ऐसी संपत्ति के लिए प्रत्यक्षत: या परोक्षत: न तो बोली लगाएगा और न उसमें कोई हित अर्जित करेगा और न ही हित अर्जित करने का प्रयत्न करेगा.

अधिकारी, कर्मकारी या व्यक्ति लोक संबक्त होंगे और सद्भावपूर्वक किए यए कार्य के लिए उनका संस्कृत

- ५०. (१) राज्य विकास बैंक या किसी जिला विकास बैंक का प्रत्येक अधिकारी, कर्मचारी या व्यक्ति इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों या मध्यप्रदेश सहकारी सौसाइट्री अधिनियम, १९६० (क्र. १७ सन् १९६१) या उसके अधीन बनाए गए नियमों या मध्यप्रदेश सहकारी सौसाइट्री अधिनियम, १९६० (क्र. १७ सन् १९६१) या उसके अधीन बनाए गए नियमों या उपविधियों के अधीन शिक्त प्रत्येक प्रार्थिकारी भारतीय दण्ड संहिता, १८६० (१८६० का सं. ४५) की धारा २१ के अधी के अमानंत शोक सेवक समझा आएगा.
- (२) इस अधिनियम के अधीन सद्भावपूर्वक की गई या सद्भावपूर्वक की जाने के लिए आशियत किसी बात के लिए ऐसे किसी अधिकारी, कर्मचारी, व्यक्ति या प्राधिकारी के विरुद्ध कोई बाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाहियां नहीं होंगी.

राज्य विकास वैक द्वारा शक्तियों का प्रत्याक्षेत्रका अकरत

्राज्य विकास बैंक, यदि वह ठीक समझता है, धारा २६, २७ या ३३ के अधीन की अपनी समस्त शक्तियां या उनमें से कोई शक्ति, तीन से अनधिक सदस्यों से गठित होने वाली ऐसी समिति को प्रत्यायोजित कर संकेगा, जिनमें से एक रजिस्ट्रार या उसका नामनिर्देशिती होगा जो संयुक्त रजिस्ट्रार की पदश्रेणी से अनिम्न पदश्रेणी का नहीं होगा.

शाखाओं का खोला जन्म

Spinist Land & Marin

५२. राज्य विकास बैंक या जिला विकास बैंक, समय-समय पर, रजिस्ट्रार या ऐसे प्राधिकारी की पूर्व मंजूरी से, कैसी कि आवश्यक हो, ऐसी रीति में, जैसी कि विहित की जाए, राज्य विकास बैंक या जिला विकास बैंक की शाखाएं या क्षेत्रीय कार्यालय ऐसे मुविधाजनक स्थानों पर, जिन्हें वह ठीक समझे, खोल सकेंगा और उनके माध्यम से लेनदेन कर सकेगा.

अविभक्त हिन्दू कुटुम्ब के कर्ता हारा दो गई प्रतिभूति के लिए विक्रोच उपबंध.

- ५३. तत्समय प्रवृत्त किसी विधि में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी,—
 - (एक) राज्य विकास बैंक या किसी जिला विकास बैंक द्वारा कृषि भूमि के सुधार या इस अधिनियम में प्रनामित अन्य प्रयोजनों के लिए दिए गए उधारों के संबंध में अविभक्त हिन्दू कुटुम्ब के कर्ता द्वारा, इस अधिनियम के प्रारंभ के पूर्व या पश्चात् दी गई प्रतिभृति ऐसे अविभक्त हिन्दू कुटुम्ब के प्रत्येक सदस्य पर आबद्धकर होगी;
 - (दो) जहां दी गई प्रतिभूति प्रश्नगत को जाती है वहां सबूत का भार आक्षेपकर्ता पर होगा.

अधिनियम सं. ३२ की बाग ६ जिल्ला विकास बैंक को केमियब देखनरिया के अध्यक्षीन सहते हए लाग होंगी.

- पंच. (६) हिन्दू अप्राप्तव्ययता और संरक्षकता अधिनियम, १९५६ (१९५६ का सं. ३२) की धारा ८ जिला विकास र्येंक के पक्ष में दी गई प्रतिभूति को इस उपान्तरण के अध्यधीन रहते हुए लागू होगी कि उसमें न्यायालय के प्रति किए गए निर्देश का अर्थ इस प्रकार लगाया जाएगा मानो कि वह जिला कलक्टर या उसके नामनिर्देशिती के प्रति निर्देश है और कलक्टर या उसके नामनिर्देशितों के आदेश के विरुद्ध अपील संभागीय आयुक्त को होगी.
- (२) उन मामलों में, जहां अविभक्त हिन्दू कुटुम्ब को संपत्ति में किसी अवयस्क का कोई संयुक्त हित है, वहां ऐसी सम्पत्ति की प्रतिभृति पर उधार देने के लिए उसके हित को जिला विकास बैंक के पक्ष में बंधक रखने के लिए अनुजा मांगना आवश्यक नहीं होगा.

48. The provisions of Sections 102 and 103 of the Transfer of Property Act, 1882 (No. IV of 1882), and of any rules made under Section 104 thereof for carrying out the purposes of the said sections shall apply, so far as may be, in respect of all notices to be served under this Act.

Application of provisions of Transfer of property Act, 1882 to notices.

49. At any sale of movable or immovable property made under this Act in order to recover any money due to the State Development Bank or a District Development Bank no officer or employee of such Bank (except on behalf of the Bank of which he is an officer or employee) and no sale officer or other person having any duty to perform in connection with such sale, shall either directly or indirectly bid for or acquire or attempt to acquire any interest in such property.

Officers of Banks and sale Officers not to bid at sales.

50: (1) Every Officer, employee or person of the State Development Bank or a District Development Bank or an authority exercising or authorised to exercise the powers under this Act or the Rules made thereunder or under the Co-operative Societies Act, 1960 (No. 17 of 1961) or the Rules or Bye-laws made thereunder shall be deemed to be a public servant within the meaning of Section 21 of the Indian Penal Code, 1860 (45 of 1860).

Officers, employees or persons to be public servant, and their indemnity for acts done in good faith.

- (2) No suit, prosecution or other legal proceedings shall lie against any such officer, employee, person or authority for anything which is in good faith done or intended to be done under this Act.
- 51. The State Development Bank may, if it thinks fit, delegate all or any of its powers under Section 26. 27, or 33 to a Committee consisting of not more than three members, one of whom shall be the Registrar or his nominee, not below the rank of Joint Registrar.

Delegation of powers by the State Development Bank

52. The State Development Bank or a District Development Bank may, from time to time, with the previous sanction of the Registrar or any such authority as is necessary, in such manner as may be prescribed, open branches or Regional Offices of the State Development Bank or a District Development Bank at such convenient places as it thinks fit and carry on operations through them.

Opening of branches.

53. Notwithstanding anything contained in any law for the time being in force-

Special provisions for security furnished by Karta of a Hindu U a d i v i d e d Family.

- the Security furnished in respect of loans by the State Development Bank or a District Development Bank either before or after commencement of this Act by the Karta of a Hindu Undivided Family for improvement of agricultural land or for other purposes enumerated in this Act, shall be binding on every member of such Hindu Undivided Family:
- (ii) Where a security furnished is called in question the burden of proof shall be on the objector.
- 54. (1) Section 8 of the Hindu Minority and Guardianship Act, 1956 (XXXII of 1956), shall apply to security furnished in favour of a District Development Bank, subject to the modification that reference to the Court therein shall be construed as reference to the District Collector or his nominee, and the appeal against the order of the Collector or his nominee shall lie to the Divisional Commissioner.

Section 8 of Act 32 of 1956 to apply to District Development Bank subject to certain modifications.

(2) Where a minor has a joint interest in the property of a Hindu Undivided Family, it shall not be necessary to seek permission to mortgage his interest in favour of the District Development Bank for advancing loan against the security of such property.

अपग्रधों का संज्ञान. ५५. प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट देः न्यायालय से अवर कोई भी न्यायालय इस अधिनियम के अधीन दंडनीय किसी भी अपराध का विचारण नहीं करेगा.

नियम बनाने की ५६. (१) राज्य सरकार इस अधिनियम के समस्त प्रयोजनों या उनमें से किसी प्रयोजन को कार्योन्यत करने के प्राक्ति लिए नियम बना सकेगी.

- (२) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकृत प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियमों में निम्नितिखित भमस्त विषयों या उनमें से किसी विषय के लिए उपबंध हो सकेंगे, अर्थात् :—
 - (क) धारा ९ (१) के अधीन प्रत्याभूति निधि का मठन करने और इसके प्रचालन के लिए निबंधन तथा सर्ते;
 - (ख) धारा ९ (२) के अधीन वह दर जिससे अंशदान किया जाएगा;
 - (ग) धारा ९ (३) के अधीन वह रीति जिसमें निधि रखी जाएगी और उसका उपयोग किया जाएगा:
 - बारा १५ (३) के अधीन वह रीति जिसमें वसूसी की जाएगी;

castol umic.

- ार्डिक (क) के आग १६ के अधीन वह रीति जिसमें, वह प्राधिकारी जिसके द्वारा तथा वह समय जिसके भीतर आवेदन कि के कि कि निषदारा किया जाएगा;
 - (च) धारा १८ (१) के अधीन घीषणा का प्ररूप जिसमें शपय-पत्र दिया जाएंगा;
- ुर हुन र (स्र) है आरा १८ (४) के अधीन वह सीमा जिस तक उधार मंजूर किया जाएगा;
 - (ज) धारा १९ (२) के अधीन सूचना का वह प्ररूप जो प्रकाशित किया जाएगा;
 - (झ) धारा २७ (१) के अधीन वह रीति जिसमें सम्मत्ति का विक्रय किया जाएगा;
 - (ञ) धारा ३० (१) के अधीन प्रमाण-पत्र का प्ररुप जो मंजूर किया जाएगा;
 - (ट) धारा ३९ (२) के अधीन वह कालाक्षिध जिसके भीतर रक्षम का भुगतान किया जाएगा;
 - (ठ) धारा ४२ (१) के अधीन वे निर्बन्धन, सीमाएं और शर्ते जिनके अध्यधीन रहते हुए रजिस्ट्रार को शक्तियां होंगी:
 - (ड) धारा ४२ (३) के अधीन वह रीति जिसमें प्रतियों को प्रमाणित किया जाएगा;
 - (ढ) धारा ४३ (१) के अधीन वह समय, जिसके भीतर तथा वह रीति जिसमें कि लिखतों की प्रतियां भेजी जाएंगी;
 - (फ) धारा ४५ के अधीन वह रीति जिसमें प्रतियां प्रमाणित की जाएंगी;
 - (त) धारा ५२ के अधीन वह रीति जिसमें पूर्व मंजूरी अभिप्राप्त की जाएगी;
 - (थ) कोई अन्य विषय, जिनका विहित किया जाना इस अधिनियम के अधीन अपेक्षित है या जो विहित किए जा सकें या जिसके संबंध में नियम बनाए जा सकें.

55. No court inferior to that of a Judicial Magistrate of the First Class shall try any offence punishable under this Act.

Cognizance of offences,

56. (1) The State Government may, make rules to carry out all or any of the purposes of this Act.

Power to make

- (2) In particular and without prejudice to the generality of the foregoing power, such rules may provide for all or any of the following matters, namely:
 - the terms and conditions for constitution and operation of guarantee fund under Section 9 (1):
 - (b) the rate at which the contribution shall be made under Section 9(2);
 - (c) the manner in which the fund shall be maintained and utilised under Section 9 (3);
 - (d) the manner in which recovery shall be made under Section 15 (3);

and the property of the proper

- (c) the manner in which, the authority by which and the itme within which the application shall be disposed of under section 16;
- (1) the form of declaration in which affidavit shall be given under Section 18 (1):
- (g) the limit upto which the loan shall be sanctioned under Section 18 (4);
- (h) the form of notice which shall be published under Section 19 (2);
- (i) the manner in which the property shall be sold under Section 27 (1);
- (j) the form of certificate which shall be granted under Section 30 (1);
- (k) the period within which the amount shall be paid under Section 39 (2);
- (1) the restrictions, limitations and conditions subject to which the Registrar shall have powers under Section 42 (1):
- (m) the manner in which the copies shall be certified under Section 42 (3);
- (n) the time within which and the manner in which the copies of the instrument shall be sent under Section 43 (1):
- (o) the manner in which the copies shall be certified under Section 45:
- (p) the manner in which previous sanction shall be obtained under Section 52;
- (q) any other matter which is required to be or may be prescribed or in respect of which rules may be made under this Act.

(३) इस अधिनियम के अधीन बनाए गए समस्त नियम राजपत्र में प्रकाशित किए जाएंगे और विधानसभा के पटल पर रखे जाएंगे.

पर्यवेक्षण करने और विनियम बनाने की राज्य विकास बैंक की शक्ति.

- ५७. (१) राज्य विकास बैंक को जिला विकास बैंकों का पर्यवेक्षण करने की साधारण शक्तियां हो सकेंगी और वह राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन के अध्यक्षीन रहते हुए इस संबंध में विनियम बना सकेगा जो इस अधिनियम के और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अनुरूप हों और जो मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, १९६० (क्रमांक १७ सन् १९६१) या उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों से असंगत नहीं हों.
- (२) विशिष्टतया और पूर्वगामी सक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना इन विनियमों में निम्नलिखित विषयों के लिए उपबंध हो सकेंगे, अर्थात् :—
 - (क) जिला विकास बैंकों की लेखा पुस्तकों और कार्यवाहियों के निरीक्षण के लिए;
 - (ख) जिला विकास बैंकों द्वारा अपने संव्यवहारों के संबंध में विवरणियां तथा रिपोर्ट प्रस्तृत करने के लिए:
 - (ग) जिला विकास बैंकों तथा राज्य विकास बैंक के बीच लेखाओं के नियतकालिक परिनिर्धारण के लिए और राज्य विकास बैंक को अन्तरित या अन्तरित समझी गई प्रतिभूतियों पर जिला विकास बैंकों द्वारा वसूल की गई रकमों के भुगतान के लिए;
 - (घ) वह प्ररुप जिसमें उधारों के लिए जिला विकास बैंकों को आवेदन किया चाएगा और ऐसे उधारों के लिए प्रतिभृति के रूप में प्रस्थापित की गई संपत्तियों के मृत्यांकन के लिए;
 - (ङ) प्रमाणित प्रतियों की मंजूरी हेतु आवेदन करने की प्रक्रिया विहित करने के लिए;
 - (च) उधार ग्रहीताओं से उगाहे गए धन के विनिधान के लिए;
 - (छ) उधार देने, उधारों की अवधि और उस पर प्रभारित किए जाने वाले ब्याज की दरों के लिए जिला विकास बैंकों द्वारा अनुसरित किए जाने वाले कार्यक्रम और नीति के लिए;
 - (क) उधार देने के लिए जिला विकास बैंकों द्वारा अभिग्राप्त की जाने वाली प्रतिभृति के प्रकार और उसकी सीमा के लिए: और
 - (इ) साधारणत: इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वत करने के लिए.

निरसन् और व्यावृत्तियां.

- ५८. (१) मध्यप्रदेश सहकारी भूमि विकास बैंक अधिनियम, १९६६ (क्रमांक २८ सन् १९६६) एतद्द्वारा निरसित किया जाता है.
- (२) ऐसे निरसन के होते हुए भी, इसके द्वारा निरसित अधिनियम के अधीन बनाए गए समस्त नियम, जारी किए गए आदेश और अधिसूचनाएं इस अधिनियम के अधीन क्रमण: बनाए गए या जारी की गई समझी जाएंगी.
- (३) तत्समय प्रयूत्त किसी विधि में, या किसी संविदा में अंतर्षिष्ट किसी बात के होते हुए भी, इस अधिनियम के प्रारंभ होने पर और से मध्यप्रदेश राज्य सहकारी भूमि विकाल बैंक और प्राथमिक भूमि विकास बैंकों की संपूर्ण आस्तियां और दायित्व, अधिकार, हक, हित और बाध्यताएं, यथास्थिति, राज्य विकास बैंक और जिला विकास बैंकों को अंतरित हो जाएंगी और उनमें निहित हो जाएंगी, और तदुपरि राज्य विकास बैंक और जिला विकास बैंक अपने में निहित बंधकों को उसी प्रकार प्रवर्तित करा सकेंगे मानो मध्यप्रदेश राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक तथा उसके प्राथमिक भूमि विकास बैंकों को बंधिकत संपत्तियां राज्य विकास बैंक और उसके जिला विकास बैंक को बंधिकत की गई थी.

- (3) All rules made under this Act shall be published in official Gazette and laid on the table of the Legislative Assembly.
- 57. (1) The State Development Bank may have general powers of supervision over the State Develop-District Development Banks and may subject to the prior approval of the State Government make regulations, in this behalf in conformity with this Act and Rules made thereunder and not inconsistent with the provisions of the Madhya Pradesh Co-operative Societies Act, 1960 (No. 17 of 1961) or the rules made thereunder.

Bank's Power of superviand of king regulations.

- (2) In particular and without prejudice to the generality of the foregoing power, such regulations may provide for the following matters, namely:-
 - (a) for inspection of the account books and proceedings of District Development Banks;
 - for submission of returns and reports by District Development Banks in respect of (b) their transactions:
 - for periodic settlement of accounts between District Development Banks and the (C) State Development Bank and for payment of the amounts recovered by District Development Banks on securities transferred or deemed to have been transferred to the State Development Bank; A Michigan Application of the American
 - (d) for the form in which application to District Development Banks for loans should be made and for the valuation of the properties offered as security for such loans;
 - (c) for prescribing procedure for application for grant of certified copies;
 - (1)for investment of moneys realised from loanees;
 - for the programme and policy to be followed by District Development Banks for (g) advancing loans, the duration of loans and the rates of interest to be charged thereon;
 - thi for the types and extent of security to be obtained by the District Development Banks for advancing loans; and
 - (i) generally, for carrying out the purposes of this Act.
- 58 (1) The Madhya Pradesh Sahakari Bhoomi Vikas Bank Adhiniyam, 1966 (No. 28 of 1966) Repeal Savings. is heraby repealed.
- Notwithstanding such repeal, all rules made, orders and notifications issued under the Act hereby repealed shall be deemed to have been respectively made, or issued under this Act.
- (3) Notwithstanding anything contained in any law for the time being in force, or in any contract, on and from the commencement of this Act, the entire assets and liabilities, rights, title, interest and obligations of the Madhya Pradesh State Co-operative Land Development Bank and Primary Land Development Banks shall stand transferred to and vested in the State Development Bank and District Development Banks, as the case may be, and thereupon the State Development Bank and District Development Banks may enforce the mortgages vested in them as if the properties mortgaged to the Madhya Pradesh State Co-operative Land Development Bank and its Primary Land Development Banks were mortgaged to the State Development Bank and its District Development Banks.

- (४) मध्यप्रदेश राज्य सहकारी भृमि विकास बैंक और प्राथमिक भूमि विकास बैंकों के शेयर धारक, डिबेन्चर धारक और निक्षेपकर्ता इस अधिनियम के प्रारंभ को तारीख से, यथास्थिति, राज्य विकास बैंक और जिला विकास बैंकों के शेयर धारक, डिबेन्चर धारक तथा निक्षेपकर्ता समझे जाएंगे और वे राज्य विकास बैंक और उसके जिला विकास बैंकों के शेयर धारकों, डिबेन्चर धारकों तथा निक्षेपकर्ताओं के समस्त अधिकारों और विशेषाधिकारों का उपभोग करेंगे.
- (५) किसी भी प्रकार को समस्त संविदाएं, बंधपत्र, विलेख, करार और अन्य लिखतें, जो इस अधिनियम के प्रारंभ की तारीख को विद्यमान या प्रभावशील हैं और जिनमें मध्यप्रदेश राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक या कोई प्राथमिक भूमि विकास बैंक एक पक्षकार है, ऐसी तारीख से, यथास्थिति, राज्य विकास बैंक या तत्स्थानी जिला विकास बैंक के विरुद्ध या उसके पक्ष में पूर्णत: प्रवृत्त और प्रभावशील होंगी और राज्य विकास बैंक तथा जिला विकास बैंक द्वारा पूर्णत: और प्रभावकारी रीति से प्रवर्तित को जा सकेंगी.
- (६) मध्यप्रदेश राज्य सहस्रारी भूमि विकास बैंक, मयादित के निदेशक बोर्ड द्वारा उपधारा (१) द्वारा निरस्त अधिनियम के अधीन बनाए गए विनियम, जहां तक वे इस अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों से असंगत नहीं है, तब तक प्रवृत्त बने रहेंगे जब तक कि वे इस अधिनियम के अधीन परिवर्तित या विखंडित नहीं कर दिए जाते.
- (७) मध्यप्रदेश राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक मर्यादित द्वारा या उसके विरुद्ध जारी की गई समस्त सूचनाएं और संस्थित की गई समस्त त्रिधिक कार्यवाहियां, जो इस अधिनियम के प्रारंभ पर लंबित हैं, ऐसी तारीख से राज्य विकास बैंक द्वारा या उसके विरुद्ध जारी या संस्थित हुई समझी जाएंगी.

- (4) The Share-holders, debenture holders and depositors of the Madhya Pradesh State Cooperative Land Development Bank and the Primary Land Development Banks shall be deemed to be the share-holders, debenture holders and depositors respectively of the State Development Bank and District Development Banks, as the case may be, from the date of commencement of this Act and they shall enjoy all the rights and privileges of the share-holders, debenture holders and depositors of the State Development Banks and its District Development Banks.
- (5) All contracts, bonds, deeds agreements and other instruments of whatever nature subsisting or having effect on the date of commencement of this Act and to which the Madhya Pradesh State Co-operative Land Development Bank or any Primary Land Development Bank is a party shall from such date be of full force and effect against or in favour of the State Development Bank or the corresponding District Development Bank, as the case may be, and may be enforced as fully and effectually by the State Development Bank and the District Development Bank.
- (6) The regulations made by the Board of Directors of the Madhya Pradesh State Co-operative Land Development Bank Limited under the Act repealed by sub-section (1) shall in so far as they are not inconsistent with the provisions of this Act and the Rules made hereunder, continue in force until altered or reseinded under this Act.
- (7) All notices issued and legal procedings instituted by or against the Madhya Pradesh State Co-operative Land Development Bank Limited, pending on the commencement of this Act shall, from such date be deemed to have been issued or instituted by or against the State Development Bank.